जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक जानकारियां

2012

जनपद आपातकालीन परिचलान केन्द्र, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
दूरभाष नं0– 01374–226461, 226126, 1077 (टोल–फ्री)
मो0– 7500337269

E-mail : ddmauttarkashi@gmail.com

निर्देशन
देवेन्द्र सिंह पटवाल
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी

संकलन
अरविन्द सिंह रावत

सहयोग
केदार सिंह नेगी,
विजय कुमार पालीवाल,
राजेश पैन्यूली

प्रकाशक
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी
जिला कार्यालय परिसर, उत्तरकाशी-249193
दूरभाष नं० : 01374–226461, 226126, 1077(टोल फ्री)
मोबाईल नं० : 7500337269
ई-मेल : ddmauttarkashi@gmail.com

: **आभार** :
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC)
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

:: संदेश ::

आपदा की परिभाषा की सीमाओं के प्रतिबन्ध से मुक्त इस पुस्तिका का उद्देश्य सही जानकारी के माध्यम से आपदाओं को यथासम्भव न्यून करना है। जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थिति इसे कुछ आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील बनाती है तो वहीं सही जानकारी का अभाव यहां निवास कर रहे समुदायों की घातकता के स्तर को और अधिक बढा देता है। आपदा के पहले सम्भावित आपदाओं के प्रति उदासीनता एवं आपदा के समय व उसके बाद अव्यवस्थित एवं अनियोजित प्रतिवादन मानवीय त्रासदी के परिमाण को निश्चित ही बढ़ाती है। सही जानकारी की उपलब्धता आपदा सम्बन्धित जागरूकता लाने के साथ ही यहां निवास कर रहें समुदायों को आपदा का समक्ष रूप से सामना करने हेतु आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। इस पुस्तिका का उद्देश्य आम व्यक्ति को सरल भाषा में सही जानकारियॉ उपलब्ध करवाना है ताकि समुदाय के स्तर पर इनका उपयोग कर सम्भावित आपदाओं का उचित प्रबन्धन किया जा सकें ।

इस पुस्तिका में जनपद में सम्भावित अधिकतर आपदाओं के कारणों की विवेचना की गयी है और इनसे बचाव के लिए आवश्यक जानकारियों का संकलन किया गया है। भूकम्प, भू–स्खलन, बादल फटना के साथ ही इसमें घरेलू आग, वनाग्नि व सड़क दुर्घटना सम्बन्धित जानकारियॉ भी दी गयी है। आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए इन जानकारियों का उपयोग निश्चित ही अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारियों के प्रचार–प्रसार के प्रति कृत संकल्प है और मुझे आशा है कि यह पुस्तिका आप सभी के लिए उपयोगी सिद्व होगी।

दिनांक– 21 मार्च, 2012

(अक्षत गुप्ता)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

:: उद्देश्य ::

अपनी विशिष्ट भूगर्भीय संरचना व कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण जनपद उत्तरकाशी विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। समय–समय पर घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं व सड़क दुर्घटनाओं का यहॉ के निवासियों पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक वर्ष आपदाओं के कारण अनेक लोग इससे प्रभावित होते है।

प्राकृतिक आपदाओं को पूर्णतः रोक पाना सम्भव नहीं है, परन्तु सही जानकारी व जागरूकता से आपदा के प्रभाव को न्यून किया जा सकता है। इस पुस्तिका में आपदा से बचाव हेतु जानकारियों का संकलन किया गया है। पुस्तिका में आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद "क्या करें, क्या न करें" की जानकारी दी गयी है। इसके साथ पुस्तिका में भूकम्प जैसे आपदा के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से भूकम्प अवरोधी भवन निर्माण तकनीक सम्बन्धी सामान्य जानकारी, प्राथमिक उपचार के साथ–साथ राहत–बचाव सम्बन्धी जानकारियों का संकलन किया गया है। आपदा घटित होने पर सम्बन्धित विभाग/व्यक्तियों व विभागीय नोडल अधिकारियों/आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत सेवन डेस्क सिस्टम के अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र आदि का भी संकलन किया गया है।

आम जनमानस में आपदा के प्रति जागरूकता हेतु निश्चित रूप से यह पुस्तिका सहायक सिद्व होगी।

दिनांक– 21 मार्च, 2012

(बी0एस0 धानिक)
अपर जिलाधिकारी/
मुख्य अधिशासी अधिकारी
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पेज सं.
1.	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005	1
2.	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना मार्ग–निर्देशन	7
3.	आपदा राहत हेतु संस्थागत व्यवस्था	12
4.	आपदा राहत कोष के मानक	14
5.	भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण	24
6.	भूकम्प आने पर क्या करें	46
7.	भूकम्प सुरक्षा और हमारी तैयारी	47
8.	प्राथमिक चिकित्सा	66
9.	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के मुख्य कार्य	69
10.	आपातकालीन परिचालन केन्द्र में डेस्कों की व्यवस्था व उनके कार्य	69
11.	उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.)	70
12.	विभागीय नोडल अधिकारी	71
13.	राहत शिविर	72
14.	जनपद के प्रमुख अधिकारियों के दूरभाष	75
15.	जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारियों के दूरभाष	76
16.	इमरजेन्सी सेवा 108 का विवरण	77
17.	जनपद स्तर पर उपलब्ध उपकरण	78
18.	राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बन्ध में सूचना	81

अध्याय- 1, आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005

1. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30)

1. जनपद प्रतिवादन योजना (response plan) को समावेशित करते हुये जनपद आपदा प्रबन्धन योजना का विकास
2. राष्ट्रीय नीति (policy), राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं (plans) के क्रियान्वयन (implementation) हेतु समन्वयन (coordianation) व परिवीक्षण (monitoring)
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिवादन (response) हेतु निर्गत मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
5. जनपद के स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाये जाने हतु मार्गनिर्देश
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर का अनुश्रवण (monitoring)
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण
10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिये क्षमताओं (capacity) की समीक्षा (review) व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण (upgradation) हेतु दिशा–निर्देश
11. पूर्व तैयारी (preparedness) के स्तर की समीक्षा एवं सम्भावित आपदाओं का सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा–निर्देश
12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वयं सेवी बचाव कार्मिकों (voluntary rescue workers) के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों (specialized training programmes) का आयोजन
13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन–जागरूकता कार्यक्रमों (community training and awareness programmes) का आयोजन
14. आपदा चेतावनी तंत्र (warning mechanism) व जन सूचना तंत्र (public information sustem) विकसित किया जाना एवं इसका रख–रखाव व उच्चीकरण
15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन (response) योजना व मार्गनिर्देशिकाओं (guidelines) का विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण

16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिवादन कार्यों का समन्वयन (coordination)
17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन (response) योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये
18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एवं जनपद के सम्बन्धित सरकारी विभागों व अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश
19. आपदा प्रबन्ध सम्बन्धित कार्यों में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों, निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यों में समन्वयन
20. आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों के त्वरित (prompt) एवं प्रभावी (effective) क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशा–निर्देश
21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना
22. विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैया की गयी योजनाओं की समीक्षा (review)
23. आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण (inspection) एवं मानकों की अवहेलना (non-compliance) पाये जाने पर सम्बन्धित को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश
24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ–सफाई व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना
25. राहत व बचाव सामग्रियों का भंण्डारण या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के साथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना
27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं (social welfare institutions) को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना
28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र (communication systems) कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं
29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यों का सम्पादन

2. आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34)

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश

2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध
3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध
4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य
5. आश्रय (shelter), भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन (emergency) संचार व्यवस्था की स्थापना
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देश
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से परामर्श
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुरूप वांछित सामग्री की आपूर्ति
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण व जन सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त (demolish) किया जाना
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव (discrimination) न हो
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यों का सम्पादन

3. जनपद आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 31)

जनपद स्तरीय योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश किया जाना है :

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों व क्षेत्रों का चिन्हांकन व विवरण
2. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य
3. त्वरित एवं प्रभावी आपदा प्रतिवादन (response) के दृष्टिगत आवश्यक क्षमता विकास (capacity building) एवं पूर्व तैयारी (preparedness) हेतु जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य
4. निम्नलिखित के दृष्टिगत आपदा की स्थिति के लिये प्रतिवादन (response) योजना एवं कार्यविधियाँ (operating procedures):
   :– जनपद स्तरीय विभागों व स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण
   :– आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन एवं तत्कालिक राहत
   :– आवश्यक सामग्रियों का क्रय व आपूर्ति
   :– संचार तंत्र की स्थापना
   :– जन साधारण के लिये सूचनाओं का प्रसारण
   :– राज्य प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य जानकारियाँ

4. जनपद में स्थित विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 32)

जनपद में अवस्थित केन्द्र व राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश करते हुये अपनी आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी है :

1. जनपद योजना में प्रयुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आने वाले आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों हेतु व्यवस्थायें एवं संसाधन (resources)
2. जनपद योजना के अनुरूप क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यवस्थायें
3. आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये प्रतिवादन योजना (response plan) व कार्यविधियाँ (operating procedures)

5. आपदा प्रबन्धन हेतु संसाधन (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 46, 47, 48 व 50)

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन कोष (National Disaster Response Fund) (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 46)

1. केन्द्र सरकार द्वारा आपदा की स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन कोष की स्थापना किये जाने की व्यवस्था
2. यह कोष आपातकालीन प्रतिवादन, राहत एवं पुनर्वास सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive committe) को उपलब्ध
3. इस कोष का उपयोग आपातकालीन प्रतिवादन (emergency response), राहत (relief), एवं पुनर्वास (rehabilitation) हेतु जाना अनुमन्य
4. इस कोष से व्यय के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA) से परामर्श कर मानक बनाये जाने की व्यवस्था

(ख) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (National Disaster Mitigation Fund) (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 47)

1. आपदा न्यूनीकरण आवश्यकताओं के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना किये जाने की व्यवस्था
2. इस कोष का संचालन राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA) द्वारा किये जाने की व्यवस्था

(ग) राज्यों द्वारा स्थापित कोष (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48)

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कोष स्थापित किये जाने की व्यवस्था है :

1. राज्य आपदा प्रतिवादन कोष (State Disaster Response Fund)
2. राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund)
3. जनपद आपदा प्रतिवादन कोष (District Disaster Response Fund)
4. जनपद आपदा न्यूनीकरण कोष (District Disaster Mitigation Fund)

राज्य आपदा प्रतिवादन कोष राज्य कार्यकारी समिति को व राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध होगा। जनपद स्तरीय कोष जनपद प्राधिकरणों को उपलब्ध होंगे

(घ) आपातकालीन आपूर्ति व्यवस्था (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 50)

आपदा की परिस्थितियों में राष्ट्रीय या राज्य प्राधिकरण के बचाव या राहत सामग्रियों की आपातकालीन क्रय आवश्यकता के प्रति संतुष्ट होने की स्थिति में :

1. इनके द्वारा सम्बन्धित विभाग को आपातकालीन क्रय हेतु प्राधिकृत (authorize) किया जा सकता है तथा इन परिस्थितियों में सामान्य निविदा प्रक्रिया (tender procedure) का अनुपालन किये जाने की बाध्यता नहीं होगी
2. राष्ट्रीय, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी (audthorized controlling officer) द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र को लेखा (accounting) सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिये पर्याप्त

6. दण्डात्मक व्यवस्थायें (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा, 51–56)

(क) अवरोध उत्पन्न करना : बिना पर्याप्त एवं तर्कसंगत कारण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन कर रहे राज्य या केन्द्र सरकार के कार्मिक या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्यों को बाधित (obstruct) करने या, राज्य या केन्द्र सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से निर्गत निर्देशों की अवहेलना (non-compliance) के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास (imprisonment) या अर्थदण्ड (fine) या दोनों दिये जा सकते हैं। दोषी व्यक्ति के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या जान जोखिम में पड़ने की स्थिति में कारावास की अवधि दो वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51)

(ख) दोषपूर्ण दावे : राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण या अन्य लाभों को लिये जाने के उद्देश्य से सरकार एवं सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष जान–बूझ कर (knowingly) गलत दावे (false claims) प्रस्तुत करने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड (fine) दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 52)

(ग) धन या संसाधनों का दुरूपयोग : आपदा की परिस्थिति में धन एवं संसाधनों की संरक्षा (custody) के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या अन्य के लिये इनका उपयोग किये जाने या किसी अन्य को ऐसा करने के लिये विवश (compel) करने पर सम्बन्धित को दो वर्ष तक का कारावास व अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 53)

(घ) मिथ्या चेतावनी (false warning) : आपदा या फिर उसकी तीक्ष्णता (severity) या परिमाण (magnitude) के विषय में मिथ्या चेतावनी देने के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 54)

(ड.) अधिकारी द्वारा कार्य न करना : जब तक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय से लिखित अनुमति न ली जाये इस अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन न करने पर या इस हेतु उपस्थित न होने पर उसे एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 56)

7. आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्य प्रमुख प्राविधान

(क) राहत कार्यों के लिये संसाधनों को हस्तगत करना (आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 65) : सम्बन्धित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न के सन्दर्भ में संतुष्ट होने पर कि

1. त्वरित प्रतिवादन (response) के लिये किसी संस्था या व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन आवश्यक है
2. बचाव कार्यों के लिये किसी अवसरचना की आवश्यक है या आवश्यकता पड सकती है या
3. संसाधनों की आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपूर्ति के लिये या फिर बचाव, पुनर्वास या पुनर्निर्माण सम्बन्धित यातायात व्यवस्था के लिये किसी विशिष्ट यातायात साधन की आवश्यकता है

:: सम्बन्धित प्राधिकृत व्यक्ति के लिखित आदेशों के क्रम में उक्त संसाधनों को अधिग्रहित किया जा सकता है परन्तु इन संसाधनों को अधिग्रहित किये जाने की अवधि इनके आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली अवधि से अधिक नहीं होगी।

:: संसाधनों के अधिग्रहण सम्बन्धित आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड (fine) दिया जा सकता है

(ख) चेतावनी प्रसारण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 67 व 74)

1. राष्ट्रीय, राज्य व जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा सम्बन्धित चेतावनियों, जानकारियों या अन्य के प्रसारण के लिये किसी भी प्रकार के श्रव्य या दृश्य–श्रव्य संचार माध्यम (audio or audio-visual media) के नियंत्रक को इस हेतु निर्देशित किये जाने की संस्तुति सरकार को कर सकती है और सम्बन्धित संचार माध्यम उक्त का अनुपालन किये जाने के लिये बाध्य होगा
2. केन्द्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारी समितियों तथा राष्ट्र, व राज्य व जनपद प्राधिकरणों के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके द्वारा अधिकारिक क्षमता (official capacity) में दी गई या प्रसारित की गयी किसी भी आपदा सम्बन्धित चेतावनी के लिये या फिर इस प्रकार की चेतावनी के आधार पर निर्गत आदेशों या किये गये कार्यों के लिये पूर्ण विधीय प्रतिरक्षा (immunity) प्राप्त होगी
3. विधीय व्यवस्था (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 71 व 73)

:: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) एवं उच्च न्यायालय (High court) के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय में आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी भी कार्य, आदेश, निर्देश या मार्गनिर्देश के सम्बन्ध में विधीय कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी

:: आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत या तदसम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अच्छी भावना से किये गये किसी भी कार्य के लिये राज्य या केन्द्र सरकार या राज्य व जनपद प्राधिकरण, या इनका कोई कार्मिक या इनके लिये कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अध्याय- 2, विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना मार्ग-निर्देशन

1. प्रस्तावना

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अनुपालन में राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी हैं। विभागों द्वारा विकसित इन योजनाओं को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अनुपालन में शासनादेश संख्या– 1198/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 10.10.2007 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है

2. उद्देश्य

विभागों द्वारा विकसित की जाने वाली आपदा प्रबन्धन योजनाओं का उद्देश्य निम्नवत् है :

:: विभागों द्वारा किये जाने वाले नियमित कार्यों के अन्तर्गत आपदा प्रबन्ध सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किया जाना

:: आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा निर्वहन किये जाने वाले उत्तरदायित्वों (respon sibilities) का सफल व त्वरित (prompt) सम्पादन सुनिश्चित किया जाना

:: विभागों की परिसम्पत्तियों (infrastructure), मानव संसाधन (human resource) व अन्य की सुरक्षा सुनश्चित करना

:: विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की परिधि में आने वाले व्यक्तियों एवं अन्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना

:: आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में त्वरित पुनर्स्थापना (restoration)

3. योजना निर्माण की रणनीति

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना पर कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर विभागीय योजना की रूपरेखा विकसित किया जाना उपयोगी एवं आवश्यक होगा–

1. विभिन्न आपदायें जिनसे राज्य प्रभावित हो सकता है, और उनका सम्भावित परिमाण (magnitude) व विस्तार (extent)

:: आपदाओं का विवरण (उदाहरणार्थ– भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, महामारी, दुर्घटना, अग्निकाण्ड आदि)

:: क्षति का सम्भावित परिमाण

2. विभिन्न आपदाओं के परिपेक्ष्य में विभाग के उत्तरदायित्व (responsibilities)

:: राज्य स्तरीय

:: जनपद स्तरीय

:: स्थानीय स्तर

3. इन आपदाओं से विभागीय परिसम्पत्तियों (infrastructure) को हो सकने वाली सम्भावित क्षति का परिमाण

:: विभागीय परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन

:: सम्भावित आपदा के परिप्रेक्ष्य में हो सकने वाली क्षति

4. विभागीय परिसम्पत्तियों (infrastructure) को उपरोक्तानुसार हुई क्षति के आलोक में

विभागीय दायित्वों (responsibilities) के सम्पादन में उत्पन्न हो सकने वाली बाधायें व उनके निवारण हेतु वांछित उपाय

:: सम्भावित क्षति का विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर प्रतिकूल (adverse) प्रभाव

:: सम्भावित क्षति का विभाग द्वारा आपदा की स्थिति में किये जाने वाले कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव

:: उपरोक्त के निवारण हेतु स्थानीय, जनपद व राज्य स्तर पर वांछित उपाय

5. आपदा की स्थिति के लिये चिन्हित विभागीय उत्तरदायित्वों (responsibilities) के सफल सम्पादन हेतु विभागीय क्षमता (capacity) का वर्तमान स्तर

:: विभागीय उत्तरदायित्वों (responsibilities) के सापेक्ष विभागीय कार्मिकों के प्रशिक्षण (training) की आवश्यकता

:: विभागीय उत्तरदायित्वों के सापेक्ष आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभाग में प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी

:: विभागीय उत्तरदायित्वों के सापेक्ष प्रशिक्षित कार्मिकों की पर्याप्तता (adequacy)

6. विभागीय क्षमता विकास हेतु किये जाने वाले मुख्य कार्यो का चिन्हांकन व क्षमता विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा

:: विभागीय कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता (needs assessment)

:: प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय, रूपरेखा व स्वरूप (भूकम्प अवरोधी भवन निर्माण तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा, भूकम्प जागरूकता/बचाव, भूस्खलन रोकथाम/बचाव व अन्य)

:: उक्त कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु वांछित प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम संस्थाओं का चिन्हांकन

:: उक्त कार्यक्रमों के वित्तपोषण हेतु विभागीय व्यवस्थायें

7. विभाग द्वारा सामान्यतः किये जाने वाले कार्यों में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों को समावेशित किये जाने की सम्भवनायें

:: विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का चिन्हांकन

:: आपदा से इन कार्यों पर पड़ सकने वाला प्रतिकूल (adverse) प्रभाव

:: इन प्रभावों को कम करने हेतु व्यवस्थायें

:: विभागीय परिसम्पत्तियों (infrastructure) में आपदारोधी तकनीकों (disaster resistant techniques) के समावेश का वर्तमान स्तर

:: आपदा से विभागीय परिसम्पत्तियों को हो सकने वाली क्षति का परिमाण (magnitude)

:: विभागीय परिसम्पत्तियों को सम्भावित क्षति को कम किये जाने हेतु उपाय

:: उपरोक्त हेतु विभाग स्तर पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था

8. इस दिशा में विभाग द्वारा वर्तमान तक किये गये प्रयास

:: विभागीय परिसम्पत्तियों व क्रियाकलापों को आपदा से सुरक्षित बनाये जाने हेतु वर्तमान तक विभाग द्वारा किये गये कार्य

9. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों को नियमित विभागीय कार्यों मे समावेश किये जाने का औचित्य

:: विभागीय परिसम्पत्तियों व क्रियाकलापों को आपदा से हो सकने वाली क्षति के सापेक्ष आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी उपायों की सार्थकता

4. विभागीय आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ व नोडल अधिकारी

विचार–विमर्श के उपरान्त विभाग के स्तर पर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ (Cell) का गठन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकोष्ठ का दायित्व सक्षम स्तरीय विभागीय अधिकारी (विभागीय नोडन अधिकारी) को दिया जाना होगा व उक्त नोडल अधिकारी राज्य व जनपद स्तर पर उपलब्ध विभागीय संसाधनों (मानव संसाधन, उपकरण, अवसंरचनायें व अन्य) से सम्बन्धित जानकारियों को सूचीबद्ध कर निर्दिष्टि प्रारूप में आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध करवाये जाने, इनके नियमित उच्चीकरण किये जाने व विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियों (Standard Operations Procedures;SOPs) तथा विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना के विकास हेतु उत्तरदायी होगा। उक्त अधिकारी आपदा की स्थिति में विभागीय संसाधनों के मोबिलाईजेशन (mobilization) एवं विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के समन्वयन (co-ordination) हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (State Emergency Operation Centre) में आपदा से सम्बन्धित सूचना मिलते ही अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की सहायता हेतु जनपद स्तर पर भी आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये नोडल अधिकारी को नामित किया जाना आवश्यक होगा।

5. विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का प्रारूप

उपरोक्त के क्रम में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को निम्नवत् अध्यायों के अनुरूप विकसित किया जाना है:

अध्याय–1

प्रस्तावना (introduction)] परिकल्पना (vision) व उद्देश्य (objectives)

अध्याय–2

आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता (vulnerability) एवं पूर्व में आपदा की स्थितियों में विभाग द्वारा सम्पादित विशिष्ट कार्य

:: राज्य में सम्भावित आपदायें

:: आपदाओं का सम्भावित परिमाण (magnitude) व भौगोलिक विस्तार (geographical extent)

:: आपदाओं से हो सकने वाली क्षति का परिमाण (magnitude)

:: पूर्व में घटित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अनुभव व किये गये विशिष्ट कार्य

अध्याय–3

विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण व इनमें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों के समावेश की सम्भावनायें–

- आपदा से पहले (जागरूकता, प्रशिक्षण, उपकरणों का क्रय, नियोजन व तैयारी)
- आपदा की अवधि में (राहत एवं बचाव कार्य, आवश्यक सेवायें)
- आपदा के उपरान्त (विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत (repair) व विभागीय सेवाओं की पुनर्स्थापना)
  - :: विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य व दी जाने वाली सेवायें
  - :: विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश

अध्याय–4

आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उत्तरदायित्वों (responsibilities) का विवरण–

- आपदा से पूर्व
- आपदा के समय
- आपदा के उपरान्त
  - :: जागरूकता (awareness)
  - :: प्रशिक्षण (training)
  - :: नियोजन (planning)
  - :: खोज एवं बचाव (search & rescue)
  - :: प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
  - :: राहत शिविर संचालन (relief camp management)
  - :: राहत व्यवस्था एवं वितरण
  - :: यातायात व संचार व्यवस्था (transport and communication) की पुनर्स्थापना (restoration) एवं अन्य
  - :: विभागीय सेवाओं का पुर्नसंचालन

अध्याय–5

विभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण (mitigation) व रोकथाम (prevention) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व उनके सफल सम्पादन हेतु विकसित रणनीति

- :: विभागीय अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण (retrofitting strengthening)
- :: विभागीय कार्य विशेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा
- :: इन कार्यों के सम्पादन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्थायें

अध्याय–6

आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में विभागीय क्षमता विकास नीति

- :: प्रशिक्षण का औचित्य (logic)
- :: प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण (needs assessment)
- :: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा (structure and outline) एवं समय सारणी (time table)
- :: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्वयन (implementation) हेतु व्यवस्था

अध्याय–7

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा (review) व उच्चीकरण (updation) हेतु व्यवस्था–

- आपदा उपरान्त समीक्षा (post disaster review)
- उच्चीकरण सुझाव
- योजना का उच्चीकरण
  - :: आपदा उपरान्त विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा (review)
  - :: विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों में आपदा प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित पक्षों के समावेश का स्तर
  - :: त्रुटियों/कमियों (shortcomings) का चिन्हांकन
  - :: योजनाओं के उच्चीकरण हेतु सुझाव
  - :: विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों के मूल्यांकन (evaluation) के आलोक में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का उच्चीकरण

अध्याय–8

अन्य कोई सम्बन्धित विषय

संलग्नक– उक्त के अतिरिक्त विभागीय कार्ययोजना में निम्नलिखित को संलग्नक/परिशिष्ठ (annexure) के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा–

संलग्नक–1: प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण
(नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल संख्या)

संलग्नक–2: आपदा के सन्दर्भ में विभागीय संसाधनों (resources) की सूची
(संसाधन, क्षमता, स्थान, आदि सहित)

संलग्नक–3: आपदा के सन्दर्भ में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिये राज्य व जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण
(नाम, पदनाम, पता, सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल संख्या)

संलग्नक–4: आपदा की स्थिति हेतु विशिष्ट निर्णय–निर्धारण (decision making) व दिशा–निर्देशन (direction) नियमावली

संलग्नक–5: आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभागीय बजट व्यवस्था का वितरण

- :: आपदा पूर्व जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी हेतु
- :: आपदा पूर्व रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु
- :: आवश्यक उपकरणों एवं अन्य की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु
- :: आपदा पूर्व अभ्यासों (Mock exercises) हेतु
- :: आपदा की स्थिति में चिन्हित दायित्वों (responsibilities) के निर्वहन हेतु
- :: पुनर्निर्माण (reconstruction) एवं पुनर्स्थापना (restoration) हेतु

संलग्नक–6:

आपदा की स्थिति हेतु विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियाँ (Standard Operating Procedures: SOPs)

अध्याय- 3, आपदा राहत हेतु संस्थागत व्यवस्था

दूसरे वित्त आयोग (Finance Commission) से अब तक सभी वित्त आयोगों द्वारा आपदा राहत हेतु राज्य सरकार के राजस्व से व्यवस्था किये जाने के साथ–साथ एक सीमा तक केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु सहायता से प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती रही है।

नौवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर स्थापित एवं आपदा की स्थिति में राज्यों को वर्तमान में उपलब्ध आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund; CRF) के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:

:: आपदा राहत कोष (CRF) का उपयोग चक्रवात (cyclone), सूखा (drought), भूकम्प (earthquake), आग (fire), बाढ (flood), ओलावृष्टि (hailstorm), भूस्खलन (landside), हिमस्खलन (avalanche), बादन फटना (cloud burst) व कीट आक्रमण (pest attacks) से प्रभावितों को तत्कालिक राहत (immediate relief) प्रदान करने के लिये किया जा सकना अनुमन्य

:: राज्यों के लिये आपदा राहत कोष के परिमाण का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) को ध्यान में रखते हुवे मुख्य शीर्षक 2245 के अन्तर्गत पूर्व के वर्षो में किये गये व्यय के आधार पर किये जाने की व्यवस्था

:: अपेक्षाकृत कम सम्पन्न राज्यों (बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल) तथा विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिये सम्पूर्ण आपदा राहत कोष के 25 प्रतिशत की अतिरिक्त व्यवस्था

:: आपदा राहत कोष के लिये केन्द्र व राज्य के अंशों का निर्धारण 75:25 के अनुपातानुसार

:: केन्द्र सरकार के अंश को राज्य सरकारों को दो किस्तों में अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की मई व नवम्बर की पहली तारीख में)

:: आपदा राहत कोष से व्यय की गयी धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर मदवार विवरण दिये जाने की व्यवस्था

:: आपदा राहत कोष का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्र एवं जन समुदाय को तात्कालिक राहत दिये जाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों व मानकों के अनुरूप किये जाने की व्यवस्था

:: आपदा प्रभावित क्षेत्र एवं आबादी से सम्पर्क और आपदा राहत प्रचालनों (operations) से सीधे जुड़े कार्यो के अतिरिक्त अवसंरचनाओं (infrastructure) के पुन: स्थापन एवं अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन प्राथमिकता के आधार पर योजनागत मदों से किये जाने की व्यवस्था

:: किसी वर्ष विशेष कम व्यय की जाने वाली राशि के आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि से अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार को अगले वर्ष के लिये केन्द्र से देय धनराशि का 25 प्रतिशत अग्रिम दिये जाने की व्यवस्था

:: आपदा राहत कोष का संचालन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान

:: आपदा राहत कोष का निवेश राज्य की राजधानी में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान

:: पाच वर्षो की योजना अवधि के अन्त में कोष में अवशेष धनराशि राज्यों को अगली योजना के लिये संसाधन के रूप उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान

:: राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष की व्यवस्था पूर्व की तरह तथा इससे व्यय राशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कर (National Calamity Contigent Duty) व अन्य अधिभारों द्वारा किये जाने की व्यवस्था

:: राहत उपायों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली खाद्यान्न सहायता की व्यवस्था

राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (National Calamity Contigency Fund; NCCF)

असाधारण तीक्ष्णता (severity) वाली आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष की सीमाओं को सभी वित्त आयोगों द्वारा स्वीकारा गया और दसवें वित्त आयोग द्वारा इस हेतु पृथक वित्तीय व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की गयी। आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Fund for Calamity Relief; NFCR) के गठन की संस्तुति की गयी और इस कोष के संचालन और व्यवस्थापन के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (National Calamity Relief Committee; NCRC) को प्राधिकृत किया गया।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की प्रक्रिया को काफी लम्बा तथा उपलब्ध– धनराशि को 5 वर्षो के लिये अपर्याप्त पाया गया और इसे बन्द किये जाने की संस्तुति की गयी। आयोग के द्वारा असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्वत: पहचान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के स्तर पर व्यवस्था विकसित किये जाने तथा तदनुसार राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (National Calamity Contingency Fund; NCCF) के गठन की संस्तुति की गयी। ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष की व्यवस्थाओं के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:

1. चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ, त्वरित बाढ, बादल फटना, हिम स्खलन, भू–स्खलन, कीट आक्रमण एवं ओलावृष्टि से सम्बन्धित आपदाओं के परिवीक्षण (monitoring) के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्र (National Centre for Calamity Management; NCCM) का गठन व इसके द्वारा केन्द्र सरकार को असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं के घटित होने और सम्बन्धित राज्य को केन्द्र व अन्य राज्यों से सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति किये जाने की व्यवस्था
2. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गयी सहायता की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय करों में विशिष्ट अधिभार, राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कर (National Calamity Contingent Duty) द्वारा किये जाने और इससे प्राप्त धन को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक लेखा के अन्तर्गत पृथक कोष में रखे जाने का प्रावधान
3. कोष में वित्तीय वर्ष के अन्त में उपलब्ध अवशेष राशि को अगली योजना के लिये संसाधन के रूप में केन्द्र सरकार को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था

अध्याय- 4, आपदा राहत कोष के मानक

राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund; SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund; NDRF) से देय सहायता हेतु पुनर्निर्धारित मदों एवं मानकों की सूची

(अवधि 2010–15, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या– 32-7/2011-MDM-I दिनांक 16 जनवरी, 2012)

क्र.सं.	मद	सहायता हेतु मानक
1	2	3
1.	अनुग्रह राहत	
अ.	मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान	₹ 1.50 लाख प्रति मृत व्यक्ति मृत्यु के कारण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने की स्थिति में राहत कार्यों में लगे या पूर्व– तैयारियों से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी इस लाभ से आच्छादित हैं किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भारतीय नागरिक की किसी अन्य राष्ट्र में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को यह राहत अनुमन्य नहीं होगी किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक की भारतीय भू–भाग में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को इस राहत राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा
ब.	हाथ–पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	₹ 43,500 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 80 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में ₹ 62,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 80 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में अपंगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है
स.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो	₹ 9,300 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में ₹ 3,100 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में

द.	घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या एक सप्ताह से अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये	₹ 1,300 प्रति परिवार कपड़ों की क्षति के लिये ₹ 1,400 प्रति परिवार बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिये
ई.	अत्यन्त जरूरतमन्द परिवारों को आपदा पश्चात जीवन–यापन हेतु अनुग्रह अनुदान यह अनुदान केवल उन्हें ही दिया जाना चाहिये जिनके पास आरक्षित खाद्यान्न न हो या आपदा के कारण जिनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये हो और जिनके पास जीवन–यापन के अन्य कोई साधन न हो	₹ 30 प्रति व्यस्क एवं ₹ 25 प्रति बालक प्रतिदिन प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में न रह रहा हो राज्य सरकार सत्यापित किया जायेगा कि प्रभावित व्यक्तियों के पास आरक्षित खाद्यान्न नहीं है या आपदा के कारण उनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये है चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रह रहे हैं साथ ही राज्य सरकार लाभार्थियों के चिन्हांकन का आधार तथा प्रक्रिया का जनपदवार विवरण उपलब्ध करवायेगी अनुग्रह अनुदान दिये जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee; SEC) या केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष National Disaster Response Fund; NDRF से सहायता दिये जाने की स्थिति में) के आंकलन के अनुरूप होगी। सहायता दिये जाने की अवधि सामान्यतः 30 दिनों तक होगी जिसे यथा आवश्यकता पहली बार में 60 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। सूखे एवं कीट आक्रमण की स्थिति में इस अवधि को तत्पश्चात 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
2.	खोज एवं बचाव प्रचालन	
अ.	खोज एवं बचाव उपायों तथा प्रभावितों या प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के निष्क्रमण पर व्यय	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने तक यह प्रचलन पूर्ण हो चुके होते हैं। अतः राज्य स्तरीय समिति तथा केन्द्रीय दल वास्तविक/वास्तविक के करीब के व्यय की संस्तुति कर सकती है

ब.	तत्कालिक राहत एवं जीवन बचाने हेतु नावों को किराये पर लिया जाना	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो सहायता की राशि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण अलग–थलग पड़ गये व फँसे हुये लोगो का जीवन बचाने के उद्देश्य से उपयोग में लायी गयी नावों तथा आवश्यक उपकरणों के किराये में व्यय की गयी वास्तविक राशि तक सीमित होगी
3.	**राहत उपाय**	
अ.	प्रभावित / निष्क्रमित एवं राहत शिविरों में शरण ले रहे व्यक्तियों के लिये खाद्यान्न, कपडे, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य की अस्थाई व्यवस्था का प्रावधान	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन के अनुरूप या (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप 30 दिनों की अवधि तक। राज्य कार्यकारी समिति द्वारा शिविरों की संख्या, अवधि एवं उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा। सूखा, बाढ़ या अन्य आपदा के कारण हुए वृहद विध्वंस की स्थिति में इस समयावधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तीक्ष्ण सूखे की स्थिति में इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है चिकित्सा सुविधायें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्रदान की जा सकती हैं
ब.	आवश्यक आपूर्तियों को आकाश से गिरवाना	वास्तविक व्यय के आधार पर, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में) सहायता का परिमाण भारतीय वायु सेना द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं बचाव प्रचालनों के सम्पादन हेतु ली जाने वाली वास्तविक राशि की सीमा तक अनुमन्य
स.	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	30 दिनों की समयावधि तक वास्तविक व्यय के अनुरूप, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो। सूखे की अवधि में इस अवधि को 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है

4.	**प्रभावित स्थलों को अवरोध मुक्त बनाना**	
अ.	सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबे की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
ब.	प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
स.	मृतकों का अंतिम संस्कार व जानवरों के शवों का निस्तारण	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता लिये जाने की स्थिति में)
5.	**कृषि**	
(i)	**छोटे एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
अ	**भूमि एवं अन्य की क्षति में सहायता**	
अ.	रेत या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने और इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने की स्थिति में कृषि भूमि से अवसाद हटाने के लिये	₹ 8,100 प्रति प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिये
ब.	पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये	(लाभान्वित द्वारा किसी अन्य सहायता/सहायिकी न लिये जाने और उसके सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ उठा पाने का पात्र न होने की स्थिति में)
स.	मत्स्य पालन जलाशयों की सफाई/मरम्मत/पुनर्स्थापना	
द.	भू–स्खलन, हिम–स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि को हुई क्षति	₹ 25,000 प्रति हेक्टेयर यह सहायता केवल राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप से निजी स्वामित्व वाली भूमि की क्षति की स्थिति में केवल छोटे और सीमान्त कृषकों को दी जा सकती है

ब	कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 50 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)		
	अ.	कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिये	₹ 3,000 प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ₹ 6,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की क्षति के न्यूनतम 50 प्रतिशत होने की स्थिति में किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि ₹ 500/– से कम नहीं होगी और यह सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी
	ब.	सदाबहार पफसल	₹ 8,000 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये अनुमन्य। देय सहायता राशि ₹ 1,000/– से कम नहीं होगी
	स.	रेशम कृषक	₹ 3,200 प्रति हेक्टेयर ईरी, शहतूत व टस्सर के लिये ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिये
(ii)		छोटे व सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य के लिये कृषि निवेश अनुदान	₹ 3,000/– प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ₹ 8,000/– प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये भू स्वामित्व पर विचार किये बिना यह सहायता फसल की क्षति के 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में अधिकतम 01 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक तथा आपदाओं के निरन्तरता में होने की स्थिति में 02 हेक्टेयर प्रति कृषक तक सीमित होगी
6.	पशुपालनः छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता		
	(i)	दूधा, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन	दुधारू पशु ₹ 16,400/– प्रति पशु भैंस / गाय / ऊँट / याक आदि के लिये ₹ 1,650/– प्रति पशु भेड़ / बकरी के लिये कृषि व ढुलाई वाले पशु – ₹ 15,000/– प्रति पशु ऊँट / घोड़ा / बैल आदि के लिये ₹ 10,000/– प्रति पशु बछिया / गधा / खच्चर के लिये

			इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 01 बड़े दुधारू पशु या 04 छोटे दुधारू पशुओं या 01 बड़े कृषि व ढुलाई वाले पशु या 02 छोटे कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी (क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना होगा) कुक्कुट पालन ₹ 37/– प्रति पक्षी – ₹ 400/– प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है नोट – अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता का पात्र होने की स्थिति में इस मद से राहत अनुमन्य नहीं होगी जैसे कि बर्ड फ्लू या अन्य बीमारियों के कारण होने वाली पक्षियों की क्षति की पूर्ति हेतु कुक्कुट पालकों के लिये पशुपालन विभाग की पृथक योजना क्रियान्वित है
	(ii)	मवेशी शिविर में चारे / पशु आहार हेतु	₹ 32/– प्रतिदिन बड़े पशुओं के लिये ₹ 16/– प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिये राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर 15 दिनों तक किये गये वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	(iii)	मवेशी शिविर में जल आपूर्ति	राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर 15 दिनों तक किये गये वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य

	(iv)	दवा व टीकों हेतु अतिरिक्त व्यय	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की सस्तुति के आधार पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिये। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा कि दवा एव टीकों की आवश्यकता सम्बन्धित आपदा में प्रासगिक है
	(v)	मवेशी शिविरों के बाहर रह रहे पशुओं के लिये चारे की ढुलाई	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की सस्तुति के आधार पर चारे की ढुलाई पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिये
7.	**मछली पालन**		
	(i)	क्षतिग्रस्त या खो गयी नाव, जाल एवं अन्य की मरम्मत व पुनर्क्रय हेतु मछुवारों को सहायता कश्ती / नाव डोंगी बेड़ा जाल (लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की अन्य किसी योजना से सहायता / सहायिकी का पात्र होने या ऐसी किसी योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)	₹ 3,000/– आशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये ₹ 1,500/– आशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये ₹ 7,000/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के पुनर्क्रय के लिये ₹ 1,850/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्क्रय के लिये
	(ii)	मत्स्य पालन हेतु सहायिकी निवेश	₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर (कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा दी जाने वाली एक बार की सहायिकी के अतिरिक्त लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता / सहायिकी का पात्र या उक्त योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)

8.	**हाथकरघा – कारीगरों को सहायता**		
	(i)	क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्क्रय के लिये	₹ 3,000/– प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्क्रय के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक
	(ii)	कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पाद की क्षति के लिये	₹ 3,000/– प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक
9.	**भवन**		
	अ.	**पूर्णतः क्षतिग्रस्त / नष्ट भवन**	
		क) पक्का भवन	₹ 35,000/– प्रति भवन
		ख) कच्चा भवन	₹ 15,000/– प्रति भवन
	ब.	**तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन**	
		क) पक्का भवन	₹ 6,300/– प्रति भवन
		ख) कच्चा भवन	₹ 3,200/– प्रति भवन
	स.	**आशिक क्षतिग्रस्त भवन** झोपड़ी के अतिरिक्त कच्चा व पक्का दोनों (जहाँ कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो)	₹ 1,900/– प्रति भवन
	द.	**क्षतिग्रस्त / नष्ट झोपड़ी**	₹ 2,500/– प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है जिसका निर्माण घास–फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य / जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो) **नोट**–क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है
	ई.	**भवन के साथ जुड़ी पशुशाला**	₹ 1,250/– प्रति पशुशाला

10.	अवसंरचना	
	क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत या पुनर्स्थापना (1) सड़क एवं पुल (2) पेयजल आपूर्ति (3) सिंचाई (4) ऊर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तक सीमित) (5) विद्यालय (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ दूर संचार एवं ऊर्जा जैसे अपना स्वयं का राजस्व अर्जित करने वाले तथा अपने स्वयं के संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत व पुनर्स्थापना के लिये उत्तरदायी क्षेत्रों के लिये (विद्युत आपूर्ति की तत्कालिक व्यवस्था के अतिरिक्त) सहायता देय नहीं है	**तत्कालिक प्रकृति के कार्य** तत्कालिक प्रकृति के समस्त कार्यों की विस्तृत सूची सलग्नक के रूप मे दी गयी है **आवश्यकताओं का निर्धारण** मरम्मत के लिये राज्य में प्रचलित दरों / मूल्यों / अनुदेशों के अनुरूप राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप अतिवृष्टि, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन एवं अन्य द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिये भारत में सड़कों की मरम्मत के मानक, 2001 (Norms for Maintenance of Road in India, 2001) के यथासंशोधित संस्करण को संज्ञान में लिया जायेगा। सन्दर्भ के लिये यह मानक निम्नवत् हैं: सामान्य एवं शहरी क्षेत्रों में: साधारण मरम्मत (Ordinary Repair, OR) एवं क्रमिक मरम्मत (Periodical Repair, PR) के जोड़ के 15 प्रतिशत तक पहाड़ी क्षेत्रों में: साधारण मरम्मत (OR) एवं क्रमिक मरम्मत (PR) के जोड़ के 20 प्रतिशत तक राज्य के द्वारा सर्वप्रथम रखरखाव एवं मरम्मत के लिये की गयी बजट व्यवस्था को उपयोग में लाना होगा
11.	क्रय	
	आपदा प्रतिवादन हेतु आवश्यक संचार उपकरणों एव अन्य सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्क्रमण उपकरणों का क्रय	यह व्यय राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन के अनुरूप केवल राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना अनुमन्य है। इस मद के अन्तर्गत किया जाने वाला कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये

चिन्हित तत्कालिक प्रकृति के कार्यों की विस्तृत सूची

1. पेयजल आपूर्ति

हैण्ड पम्प/कुवें/जल संचयन टैंकों/सार्वजनिक नलों की क्षतिग्रस्त मुंडेरों (platform) की मरम्मत

i) क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपों का नये पाइपों से प्रतिस्थापन एवं जल संग्रहण टैंकों की सफाई (रिसाव रोकने के दृष्टिगत) सहित सार्वजनिक नलों की पुनर्स्थापना

ii) जलापूर्ति हेतु स्थापित पम्प उपकरणों की क्षति, जल संग्रहण टैंकों से रिसाव, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पम्प से सम्बन्धित अवसंरचना की मरम्मत

2. सड़क

i) गड्ढ़ों को भरना व टूट गयी सड़क की मरम्मत, जल निकासी हेतु पाइपों की व्यवस्था, पुश्तों का मजबूतीकरण व मरम्मत

ii) टूट गये कलमठों (culverts) की मरम्मत

iii) तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु क्षतिग्रस्त/बह गये पुलों के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था

iv) पुलों / पुश्तों तक पहुँच के लिये अस्थाई मरम्मत कार्य, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु रपटों की मरम्मत, यातायात सुव्यवस्थित किये जाने हेतु सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में अस्थाई मरम्मत व अन्य व्यवस्थायें

3. सिंचाई

i) क्षतिग्रस्त नहर की तत्कालिक मरम्मत और रेत के बोरों, पत्थरों, चिनाई व अन्य के उपयोग से जल संग्रहण अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत

ii) कमजोर भागों की मरम्मत, जैसे कि बंधों के पुश्तों व दीवारों के छिद्रों और निकासी पाइपों की मरम्मत

iii) नहर तथा नदी–नालों से वानस्पतिक सामग्रियों / निर्माण सामग्रियों / मलबे को हटवाना

4. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुँच मार्गो, भवन व विद्युत आपूर्ति लाइनों की मरम्मत

5. पंचायतों की सामुदायिक अवसंरचनायें

(अ) गाँव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत

(ब) नालों/नालियों से मलबे की सफाई

(स) गाँव की आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत

(द) सार्वजनिक प्रकाश उपकरणों की मरम्मत

(ई) प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, आँगनवाडी केन्द्र आदि की अस्थाई मरम्मत

अध्याय- 5, भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण

भूकम्प और भवन :-

वास्तव में पृथ्वी की सतह उतनी स्थिर है नहीं, जितना कि हम समझते है या फिर हमें लगता है। पृथ्वी की सतह कई भागों में बँटी है और इन भागों को वैज्ञानिकों द्वारा प्लेट (Plates) कहा जाता है। साथ ही पृथ्वी उतनी ठोस भी नहीं है और पृथ्वी के अन्दर एक बड़ा भाग कुछ तरल (viscous) है। पृथ्वी की सतही भाग या प्लेट इसी तरल भाग के ऊपर स्थित है। पृथ्वी के अन्दर इस तरल भाग की उपस्थिति के कारण महाद्वीपीय आकार के यह सतही भाग (Plates) एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हैं। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में दबाव (stress) की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के नीचे ऊर्जा (energy) जमा होती रहती है। ज़मीन के अन्दर वर्षों से जमा हो रही ऊर्जा के अचानक अवमुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह पर अनुभव किये जाने वाले कम्पन या झटके ही भूकम्प हैं। प्लेटों की गति जमीन के अन्दर भूखण्डों व चट्टानों के टूटने और खिसकने के लिये उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया में अवमुक्त होने वाली ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली हलचल ही भूकम्प का कारण है। यह लकड़ी के किसी टुकड़े को हाथ से तोड़ने पर महसूस किये जाने वाले झटके की ही तरह है। लकड़ी को तोड़ने के लिये लगाया जा रहा दबाव लकड़ी में ऊर्जा के रूप में जमा होता रहता है। एक सीमा के पश्चात् लकड़ी अचानक टूटती है और ऊर्जा अचानक अवमुक्त हो जाती है, जैसा कि भूकम्प में होता है। हाथ पर महसूस किये जाने वाले झटकों या कम्पनों का परिमाण लकड़ी की मजबूती के साथ बढ़ता जाता है। ऐसे में किलोमीटरों मोटी चट्टानों के टूटने पर लगने वाले झटकों का विनाशकारी होना स्वाभाविक है।

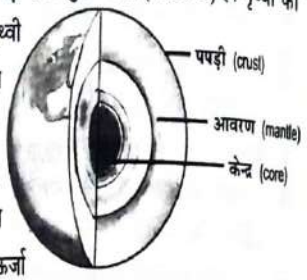

अनेकों वैज्ञानिक उपलब्धियों के बाद भी आज तक भूकम्प की सही भविष्यवाणी (कहाँ? कब? और कितना बड़ा?) कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है और न ही ऐसा करने के लिये विश्वभर में कहीं, किसी प्रकार का कोई यन्त्र ही विकसित किया गया है। भूकम्प से जुड़ी यह अनिश्चितता (कब? कहाँ? कितना बड़ा?) भूकम्प से होने वाले विनाश के परिमाण को बढ़ा देती है। भविष्यवाणी न सही, पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में भूकम्प के सम्भावित खतरों का आँकलन किया जा सकता है और वैज्ञानिकों द्वारा किये गये विश्लेषण यह बतलाते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में भूकम्प का जोखिम देश के अन्य भागों की अपेक्षा कहीं अधिक है।

हिमालय की उत्पत्ति भारतीय व यूरेशियाई भूभागों (Plates) के परस्पर टकराने के कारण हुवा है। यूरेशियाई भूभाग से टकराने के पश्चात भी भारतीय भूभाग (Indian Plate) आज तक उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा में गतिमान है और इस गति के कारण हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें अत्यन्त दबाव की स्थिति में हैं और यह दबाव ही इस क्षेत्र की उच्च भूकम्प संवेदनशीलता का कारण है।

भूभागों की गति के कारण इस क्षेत्र में पृथ्वी के अन्दर संचयित ऊर्जा समय-समय पर भूकम्पों के रूप में अवमुक्त होती रहती है। उत्तराखण्ड क्षेत्र में विगत 200 से भी अधिक वर्षों से कोई बड़ा भूकम्प (रिक्टर पैमाने पर 8.0 से अधिक परिमाण वाला) नहीं आया है और 1991 व 1999 के उत्तरकाशी व चमोली भूकम्पों में अवमुक्त ऊर्जा क्षेत्र में इस अवधि में संचयित ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य है। इतनी लम्बी अवधि से पृथ्वी के अन्दर संचयित ऊर्जा के अवमुक्त न होने के कारण इस क्षेत्र में विनाशकारी भूकम्प का जोखिम बढ़ जाता है।

अत: वैज्ञानिकों द्वारा बार-बार उत्तराखण्ड हिमालय में बड़े भूकम्प की चेतावनियाँ दी जाती रही है। यहाँ कभी भी बड़ा और विनाशकारी भूकम्प आ सकता है। कब? इसका स्पष्ट उत्तर शायद किसी के पास न हो पर आना तय है।

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य को भूकम्प के प्रति सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र (जोन - V एवं जोन - IV) के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य के 04 जनपद (बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग व चमोली) पूर्णत: जोन - V में पड़ते हैं जबकि अन्य 04 जनपद (हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर व नैनीताल) पूर्णत: जोन - IV में। बच गये 05 जनपदों (चम्पावत, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी व पौढ़ी गढ़वाल) का कुछ भाग जोन - V में पड़ता है व शेष जोन - IV में।

अब ऐसा भी नहीं है कि इस क्षेत्र के निवासी हमेशा से भूकम्प सुरक्षा के प्रति उदासीन रहे हैं। इस क्षेत्र में भूकम्प सुरक्षित निर्माण की समृद्ध परम्परा रही है। लकड़ी और पत्थर के जोड़ों पर आधारित यह परम्परा वर्तमान में लगभग लुप्त ही हो गयी है। निर्माण सामग्री में अचानक आये बदलाव व नयी सामग्री के उपयोग से सम्बन्धित तकनीकी पक्षों का औपचारिक रूप से प्रचार-प्रसार न हो पाने के कारण समय बीतने के साथ क्षेत्र की भूकम्प घातकता बढ़ी है। पूर्व में उत्तरकाशी व चमोली भूकम्पों में हुयी क्षति इसका स्पष्ट उदाहरण है।

आँकड़े बताते हैं कि विश्वभर में भूकम्प के कारण करोड़ों लोग मारे गये हैं, परन्तु वास्तव में भूकम्प किसी को नहीं मारता। मारती हैं तो हमारे द्वारा बनायी गयी कमजोर इमारतें जो भूकम्प के झटकों को झेल नहीं पाती हैं। यदि संरचनायें, यानी हमारे घर ठीक से बने हो तो भूकम्प आने पर केवल कुछ कम्पन ही महसूस होंगे पर कोई आपदा घटित नहीं होगी। यह किसी भी अन्य सामान्य घटना की तरह होगा, जिस पर शायद कोई ध्यान भी न दे।

अब ऐसा भी नहीं है कि हम भूकम्प से बचने के लिये घर बनाने ही छोड़ दें। घर तो हमेशा से बनते आये हैं और बनते रहेंगे। परन्तु भूकम्प का खतरा हमें सुरक्षित और मजबूत घर बनाने का सन्देश अवश्य देता है और भूकम्प से बचने का यही एकमात्र तरीका भी है। फिर विश्व भर में भूकम्प का खतरा अकेले हमारे क्षेत्र में ही तो नहीं है। जापान और अमेरिका में भी यह एक बड़ा खतरा है परन्तु सही तकनीक को अपना कर उन्होंने सम्भावित क्षति के परिमाण को काफी कम कर पाने में सफलता पायी है। और हम भी निश्चित ही ऐसा कर सकते हैं।

तो आओं, सीखें भूकम्प सुरक्षा के गुर और बनाये, भूकम्प सुरक्षित उत्तराखण्ड।

भवन विन्यास :-

केन्द्रीय रेखा की स्थिति का निर्दिष्ट करने वाले सन्दर्भ पिलर को खोदी जा रही बुनियाद में न्यूनतम 3 फीट की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिये

भवन विन्यास की सरलता के लिये केन्द्रीय रेखा चिन्हित की जानी चाहिये

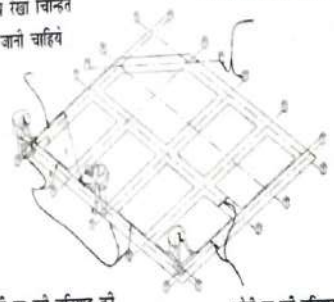

खोदी जा रही बुनियाद की स्थिति का सही निर्धारण करने के लिये केन्द्रीय रेखा के दोनो ओर बाहरी व अन्दरी रेखा स्पष्ट दर्शायी जानी चाहिये

खोदी जा रही बुनियाद की चौड़ाई

भवन विन्यास का निर्धारण करते समय बनने वाली दीवारों के मध्य समकोणीय सम्बन्ध सुनिश्चित किये जाने के लिये दो विधियों का उपयोग किया जा सकता है:

1. कोनों में समकोणीय सम्बन्ध हेतु गुनिया, या
2. कोनों में 3-4-5 की विधि (पाइथागोरस सिद्धान्त)

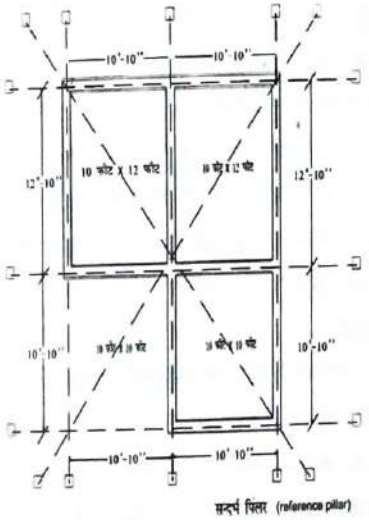

भार हस्तान्तरण प्रक्रिया :-

भवन के मुख्य संरचनात्मक अवयव निम्नवत हैं:

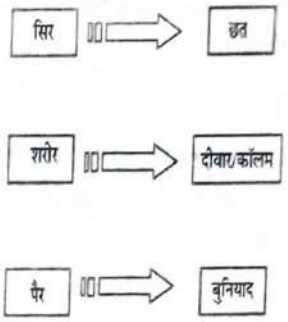

भवन का समस्त भार निश्चित ही हमेशा नीचे जमीन पर पड़ता है और इस भार के हस्तान्तरण के तरीके के आधार पर भवन या संरचनायें (structures) दो प्रकार की हो सकती हैं; (i) भारवाही (load bearing) और (ii) बीम-कॉलम आधारित (framed)।

यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि भारवाही संरचनाओं में दीवारों के पूरा हो जाने के बाद छत या कंक्रीट (जिसे आम तौर पर लिन्टर कहा जाता है) डाला जाता है और लिन्टर के सम्पूर्ण भार को दीवारों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि बीम-कॉलम आधारित संरचना में बिना दीवार के ही खड़े किये गये बीम-कॉलम के ढ़ाचे (frame) के ऊपर कंक्रीट (छत) डाला जाता है और समस्त भार को सीधे बीम-कॉलम द्वारा लिया जाता है, न कि दीवारों द्वारा।

भारवाही संरचनाओं में छत एवं ऊपरी तलों का समस्त भार सभी दीवारों में विभक्त होता है और फिर बुनियाद एवं नीचे जमीन को स्थानान्तरित होता है।

बीम-कॉलम आधारित संरचना में छत व ऊपरी भाग का भार बीम द्वारा कॉलम को हस्तान्तरित किया जाता है और फिर कॉलम द्वारा बुनियाद एवं नीचे जमीन को।

भारवाही संरचना

बीम-कॉलम आधारित संरचना

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता :–

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना सुरक्षित भवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अत: निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होना अत्यन्त आवश्यक है।

ईंट

- ईंटों का रंग एकसार और लाल होना चाहिए
- ईंटों की आकृति, आकार एवं कोनों को सीधा व समकोणीय होना चाहिए
- 24 घण्टे तक पानी में डुबाये जाने पर ईंटों को अपने भार के 8-15 प्रतिशत से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए
- ईंटों को परस्पर टकराने पर धातु के टकराने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि आनी चाहिए
- 01 मीटर (3' 3") की ऊँचाई से सख्त सतह पर गिराये जाने पर ईंटों को टूटना नहीं चाहिए और कुल टूट-फूट 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

रेत

प्राय: तीन प्रकार की रेत उपलब्ध होती है:

- बारीक रेत (एकदम पावडर की तरह; इसे भराव के लिये प्रयोग में लाया जाता है)
- मध्यम रेत (सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता)
- मोटा रेत (भराव के लिये तथा पत्थर के काम में प्रयुक्त)

रेत की जाँच

- गीली रेत को हाथ में लेने पर हथेली पर चिपकने वाली मिट्टी की मात्रा रेत की अशुद्धता को दर्शाती है
- पानी से आधे भरे काँच के गिलास में रेत डाल कर लकड़ी की सहायता से घोले व 24 घण्टे के लिये छोड़ दें। ऐसा पानी की आधी भरी बोतल में भी किया जा सकता है। पानी और रेत के मध्य दिखायी देने वाली मिट्टी की मात्रा 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए
- मिट्टी की मात्रा अधिक होने की स्थिति में रेत का प्रयोग भवन निर्माण के लिये नहीं किया जाना चाहिए

सीमेन्ट

- सीमेन्ट के कट्टे पर आई.एस.आई. (ISI) के मानक गुणवत्ता चिन्ह का होना आवश्यक है
- कट्टे पर सीमेन्ट बनाने वाली कम्पनी का पता तथा निर्माण व पैक करने की तिथि देखें (manufacturing and packaging dates)
- सीमेन्ट का उपयोग सामान्यत: पैक किये जाने के तीन माह के अन्दर तथा बारिश के मौसम में दो माह के अन्दर कर लिया जाना चाहिए

- भवन निर्माण कार्य के लिये 43 ग्रेड के सीमेन्ट का उपयोग किया जाना चाहिए
- अगुलियों के मध्य सीमेन्ट को बारीक पावडर की तरह महसूस होना चाहिए
- पानी की बाल्टी में डाले जाने पर सीमेन्ट को धीरे-धीरे डूबना चाहिए

सरिया

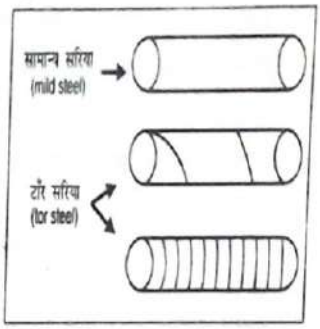

- सरिया पर आई.एस.आई. (ISI) का गुणवत्ता चिन्ह होना चाहिए
- सरिया को पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए
- सरिया की अनुप्रस्थ काट में चमकदार सतह दिखनी चाहिए
- सरिया का औसत वजन प्रति इकाई के लिये मान्य मानक वजन के बराबर होना चाहिए। इसके लिये सरिया के किन्हीं तीन टुकड़ों के भार का औसत लिया जा सकता है। उदाहरण के लिये 8 मि.मी. व्यास के सरिया के तीन टुकड़ों का प्रति मीटर भार क्रमश: 395, 400 व 390 ग्राम आता है। अत: उपलब्ध करवायी गयी सरिया का औसत भार (395+400+390)/3) 395 ग्राम है जो कि मानक भार (390 ग्राम) के लगभग बराबर है
- विभिन्न व्यास की सरिया का प्रति इकाई मानक भार निम्नवत् होता है:

6 मि.मी.	=	220 ग्राम
8 मि.मी.	=	390 ग्राम
10 मि.मी.	=	620 ग्राम
12 मि.मी.	=	890 ग्राम
16 मि.मी.	=	1580 ग्राम
20 मि.मी.	=	2480 ग्राम

रोड़ी

- मोटी रोड़ी 40 मि.मी. आकार की होनी चाहिए
- मध्यम आकार की रोड़ी 12 मि.मी. की होनी चाहिए
- गोलाकार एवं एक बराबर आकार की रोड़ी अपेक्षाकृत कम मजबूत होती है
- पी.सी.सी. में 1:4:8 व 1:3:6 के अनुपात का मसाला प्रयुक्त किया जाता है। 1:3:6 के अनुपात के मसाले को प्रयोग में लाना उचित है
- 24 घण्टों तक पानी में रखे जाने पर रोड़ी को 5 प्रतिशत से कम पानी सोखना चाहिए

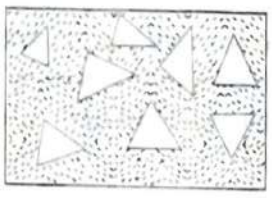

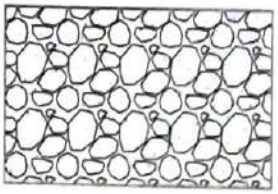

पानी

पानी की मात्रा व गुणवत्ता:

निर्माण कार्यों में पानी को हमेशा नाप कर प्रयोग किया जाना चाहिए

पानी नापने के लिये निशान लगी बाल्टी का उपयोग किया जा सकता है

- उपयोग में लाये जा रहे पानी को साफ (पीने योग्य) होना चाहिए
- एक कट्टा सीमेन्ट के मसाले में 30 लीटर से अधिक पानी का प्रयोग नही किया जाना चाहिए
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे पानी को अम्लीय (acidic) नहीं होना चाहिए

- रेत आसानी से पानी या हवा के कारण बिखर सकती है। अत: रेत के चारों ओर ईंटें रखी जानी चाहिए

- सरिया जमीन की सीलन से प्राय: जंग खा जाता है। अत: सरिया को ऊँचे स्थान पर रखा जाना चाहिए

- ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाना चाहिए और उपयोग में लाने से पहले पानी में डुबोया जाना चाहिए

- सीमेन्ट को सूखे स्थान पर रख कर पालीथीन की चादर से ढँका जाना चाहिए

रोड़ी को विषम चतुर्भजी (trapezoid) आकार में भण्डारित किया जाना चाहिए। ढेर के ऊपर चूने की लाईन लगाने से नापने में आसानी होती है

निर्माण हेतु स्थान का चयन :-

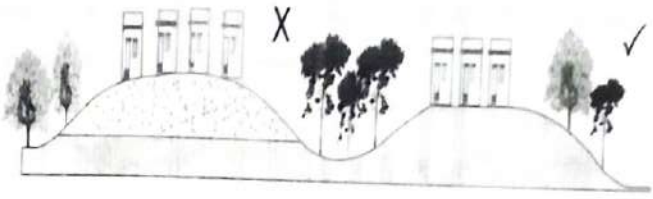

भवन का निर्माण भुरभुरी या मुलायम मिट्टी वाले स्थानों या भराव वाली जमीन पर नहीं किया जाना चाहिए

भवन का निर्माण ठोस एवं स्थिर जमीन पर किया जाना चाहिए। पहाड़ों में चट्टानी स्थान निर्माण के लिये अधिक उपयुक्त होंगे

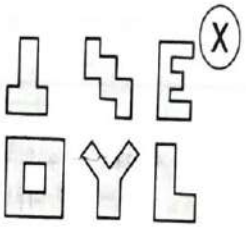

टेढ़े-मेढ़े या असमरूप विन्यास वाले भवनों को भूकम्प से अधिक क्षति होती है

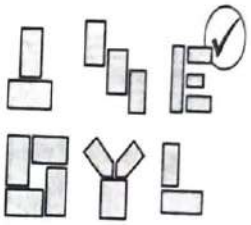

असमरूप विन्यास वाली सरचनाओं को अलग-अलग समरूप आकारों में विभक्त किये जाने से सम्भावित क्षति के परिमाण को कम किया जा सकता है

भवन के कोनों में बाहर निकले हुये भाग को मुख्य भाग की लम्बाई के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इनके मध्य जोड़ नहीं होना चाहिए

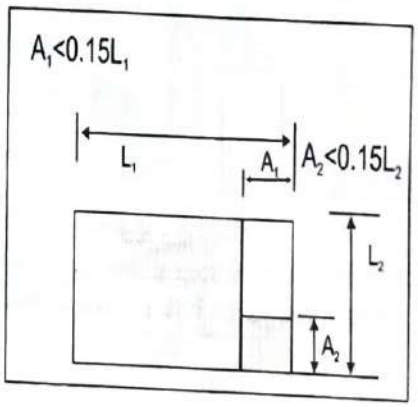

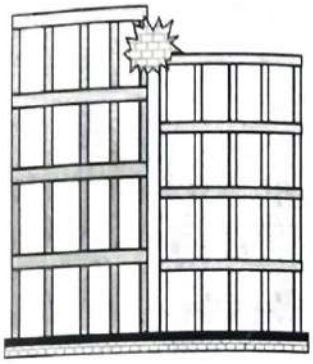

दो नजदीकी भवनों के मध्य भूकम्पीय कम्पनों के कारण परस्पर टकराने (pounding) की सम्भावनाओं को दूर किया जाना चाहिए

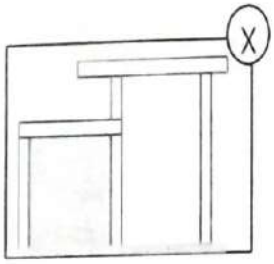

भिन्न ऊँचाई के दो भवनों को परस्पर जोड़ा नहीं जाना चाहिए

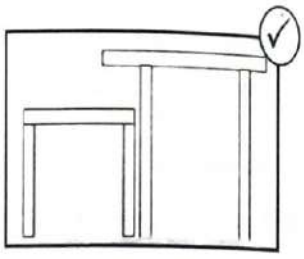

नजदीकी भवनों के मध्य पर्याप्त दूरी का होना आवश्यक है

भूकम्प आने पर भवन के खुले भूतल वाले भाग को ज्यादा क्षति होगी

प्राय: भूतल को वाहनों को खड़ा किये जाने के उद्देश्य से खाली छोड़ दिया जाता है। दीवारों के अभाव में यह तल अपेक्षाकृत कमजोर सिद्ध होते हैं और इन्हें भूकम्प से अधिक क्षति होती है।

भवन के मुख्य अवयव :-

किसी भी भवन के लिये प्रयुक्त होने वाले मुख्य पाँच घटक नीचे दिये गये हैं। भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

1. मिट्टी
2. बुनियाद
3. दीवारें
4. खुले भाग (खिड़किया, दरवाजे आदि)
5. छत

भूकम्प एवं अन्य आपदा सुरक्षित भवन के पाँच मुख्य घटकों को निम्नवत् चिन्हित किया जा सकता है:

1. स्थिरक (Anchorage)
2. बन्धक (Bracing)
3. जोड़ (Connectivity)
4. वर्णन (Detailing)
5. पर्यावरण (Environment)

भारवाही दिवारों वाले भवनों में भूकम्प सुरक्षा हेतु प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रावधान

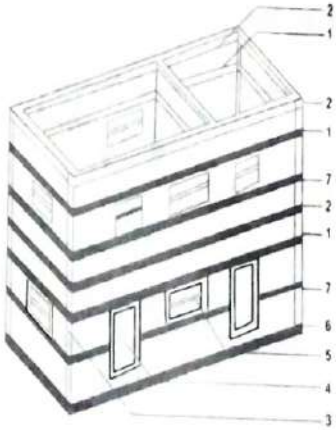

1. लिन्टल पट्टिका (Lintel band)
2. छत/फर्श पट्टिका (Roof/Floor band)
3. दीवार के कोने में लम्बवत् सुदृढ़ीकरण छड़ (Vertical reinforcing bar at corner)
4. दरवाजा (Door)
5. खिड़की (Window)
6. कुर्सी पट्टिका (Plinth band)
7. खिड़की - दहलीज पट्टिका (Window sill band)

बुनियाद :-

1. निर्धारित चौड़ाई व गहरायी के अनुरूप जमीन खोदें

2. सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत खोदी जा रही बुनियाद (foundation) की दीवारों का ढ़ाल बाहर की ओर रखें

3. बुनियाद हेतु निर्धारित तल की मिट्टी को कूट कर दबायें या फिर स्थिर चट्टान मिलने तक खोदें

4. कूटी गयी मिट्टी के तल पर कम से कम 6 इंच (15 से.मी.) मोटी रेत की परत बिछायें

5. रेत में पानी डालकर कूटें

6. बुनियाद पर डालने से पहले कंक्रीट को अच्छी तरह मिलायें

7. अभियन्ता से परामर्श कर रेत की परत के ऊपर कंक्रीट की परत बिछायें। पी.सी.सी कंक्रीट (1:4:8) की इस परत को कम से कम 3 इंच (7.5 से.मी.) मोटा होना चाहिए

8. कंक्रीट में सोखे जाने वाले पानी की मात्रा को कम करने के लिये से कंक्रीट डालने से पहले तल को गीला किया जाना आवश्यक है

बुनियाद की चौड़ाई (B) का निर्धारण बुनियाद पर पड़ने वाले बोझ (load) व भूमि की भार धारण क्षमता (bearing capacity) के आधार पर किया जाना चाहिये। चौड़ाई को 15 सेन्टीमीटर के (छः इंच) अन्तराल पर दीवार की चौड़ाई (T) के आधे (1/2) के बराबर कम किया जा सकता है।

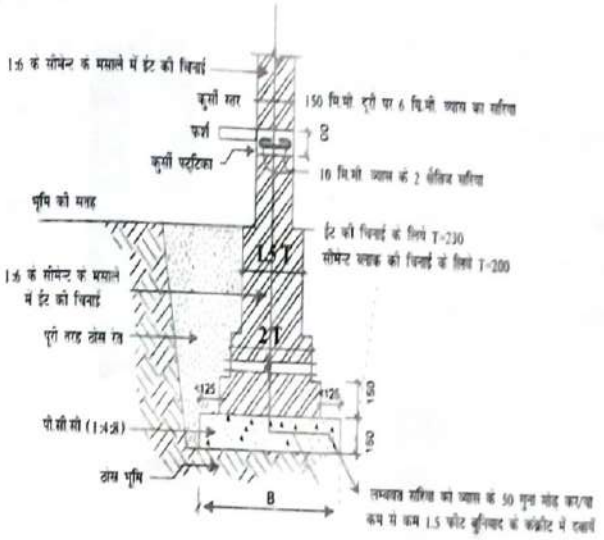

ऊपर चित्र में दिखाये गये तरीके से 'L' के आकार का मोड़ दे कर स्थिरक छड़ को पी.सी.सी. में दबायें

9. ऊपर की ओर चौड़ाई कम करते हुये ईंट की चिनाई की जानी चाहिए

हर परत का निर्माण एवं इसकी चौड़ाई व ऊँचाई का निर्धारण डिजाइन व उपलब्ध करवायी गयी ड्राइंग के अनुरूप किया जाना चाहिए

'T', 'L' व '+' आकार के जोड़ों में उपयुक्त आकार की ईंट दी जानी चाहिए ताकि स्थिरक छड़ (सरिया) के चारों ओर कम से कम 4" (आधी ईंट) का चौकोर खाली स्थान रहे

10. ईंट की चिनाई के ऊपर कुर्सी स्तर (plinth level) पर कंक्रीट की पट्टिका (कुर्सी पट्टिका) डाली जानी चाहिए

पत्थर की दीवार :-

सामान्यत: परम्परागत रूप से बनायी जाने वाली पत्थर की दीवार भूकम्प के समय आसानी से ढह जाती है। प्राय: दीवार के मध्य लम्बवत् दरारें आ जाने के कारण, यह दो भागों में विभक्त हो जाती है

दीवार में आर-पार पत्थर (through stone) का उपयोग कर के पत्थर की दीवार को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

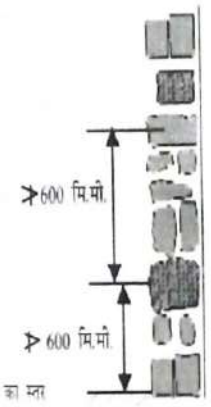

आर-पार पत्थरों की लम्बवत् स्थिति
(Vertical Position)

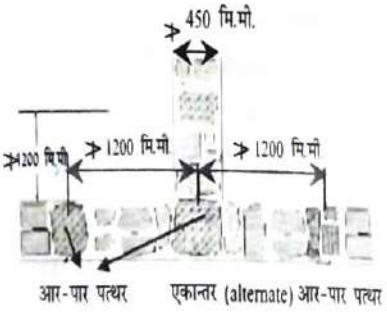

पत्थर की चिनाई का क्षैतिज विन्यास
(horizontal plan)

पत्थर की दीवार के 'T' व 'L' संगम पर खड़ी सरिया की स्थिति

ईंट की दीवार :-

ईंट की दीवार को वांछित मजबूती प्रदान करने के लिये दीवार के प्रत्येक कोने में खड़ी सरिया का उपयोग किया जाना चाहिए। दीवार के 'T' व 'L' संगम पर खड़ी सरिया की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है।

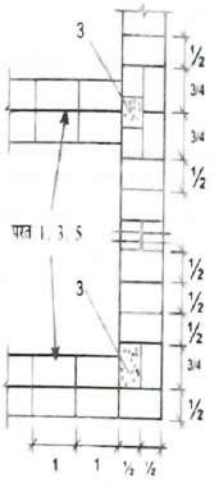

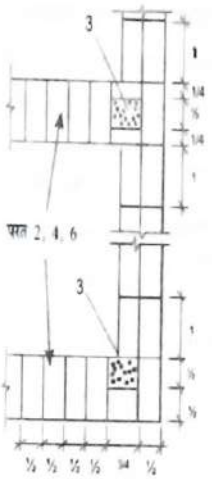

1 : एक ईंट की लम्बाई

1/2 : ईंट की लम्बाई का आधा

1/4 : ईंट की लम्बाई का चौथाई

3/4 : ईंट की लम्बाई तीन चौथाई

3 : कंक्रीट (1:1½:3) में खड़ी या लम्बवत सुदृढ़ीकरण सरिया

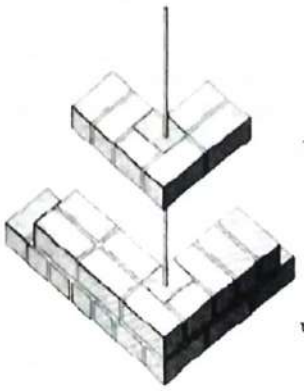

'L' संगम में ईंट की परतों की स्थिति

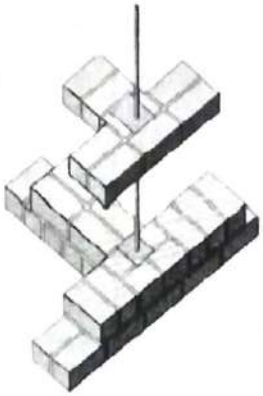

'T' संगम में ईंट की परतों की स्थिति

खड़ी व पट सरिया :–

भूकम्प जोखिम जोन IV वाले क्षेत्र

- उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर जनपद पूरी तरह भूकम्प जोखिम मानचित्र के जोन IV में पड़ते हैं जबकि चम्पावत, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपदों का ज्यादातर भाग जोन IV में पड़ता है
- भूकम्प जोखिम मानचित्र के जोन IV वाले क्षेत्रों के लिये कंक्रीट पट्टिकाओं तथा भूकम्प पट्टिकाओं की पट सरिया के मानक निम्नवत् हैं:

दीवार की आन्तरिक लम्बाई	आवासीय भवन			महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचनायें (विद्यालय, चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि)		
	पट्टिका का आकार	सरिया/छड़ों की संख्या	सरिया का व्यास (मि.मी.)	पट्टिका का आकार	सरिया/छड़ों की संख्या	सरिया का व्यास (मि.मी.)
5 मीटर या उससे कम	10 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	2	8	10 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	2	10
6 मीटर	10 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	2	10	10 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	2	12
7 मीटर	15 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	4	8	15 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	4	10
8 मीटर	15 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	4	10	15 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	4	12

- भूकम्प जोखिम जोन IV के भवनों में भूकम्पीय पट्टिकाओं में प्रयुक्त होने वाली लम्बवत् सरिया के लिये निर्धारित मानक निम्नवत् हैं:

तलों की संख्या	तल	आवासीय भवन	महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन (विद्यालय, चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र आदि)
		कमरे के किनारों में लगाये जाने वाले सरिया (HYSD-TOR) का व्यास (मि.मी.)	कमरे के किनारों में लगाये जाने वाले सरिया (HYSD-TOR) का व्यास (मि.मी.)
एक	–	10	12
दो	प्रथम	10	12
	भूतल	12	16
तीन	द्वितीय	10	12
	प्रथम	12	16
	भूतल	12	16

- हालाँकि भूकम्प जोखिम मानचित्र के जोन IV वाले क्षेत्रों में तीन मंजिले भवन बनाये जा सकते हैं परन्तु क्षेत्र में भूकम्प के खतरे के दृष्टिगत आवश्यक तकनीकी परामर्श लिया जाना उपयुक्त होगा

भूकम्प जोखिम जोन V वाले क्षेत्र

- राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली व रूद्रप्रयाग जनपद पूरी तरह भूकम्प जोखिम मानचित्र के जोन V में पड़ते हैं जबकि चम्पावत, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल व उत्तरकाशी जनपदों का कुछ भाग जोन V में पड़ता है
- भूकम्प जोखिम मानचित्र के जोन V में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिये कंक्रीट पट्टिकाओं तथा भूकम्प पट्टिकाओं में पड़ने वाली पट सरिया के मानक निम्नवत् हैं:

दीवार की आन्तरिक लम्बाई	महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों (विद्यालय, चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र आदि) सहित अन्य सभी भवन		
	पट्टिका का आकार	सरिया/छड़ों की संख्या	सरिया का व्यास (मि.मी.)
5 मीटर या कम	10 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	2	10
6 मीटर	10 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	2	12
7 मीटर	15 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	4	10
8 मीटर	15 से.मी. X दीवार की चौड़ाई	4	12

- भूकम्प जोखिम जोन V के भवनों में भूकम्पीय पट्टिकाओं में प्रयुक्त होने वाली लम्बवत् सरिया के लिये निर्धारित मानक निम्नवत् हैं:

महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों (विद्यालय, चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र आदि) सहित अन्य सभी भवन		
तलों की संख्या	तल	भवन के कोनों में पड़ने वाली सरिया (HYSD -TOR) का व्यास (मि.मी.)
एक	–	12
दो	प्रथम	12
	भूतल	16
तीन	द्वितीय	12
	प्रथम	16
	भूतल	16

- भूकम्प जोखिम के जोन V वाले क्षेत्रों में तीन मंजिले भवन का निर्माण किया जाना वर्जित है

क्षैतिज पट्टिकायें :-

भारवाही दीवारों वाले भवनों में भूकम्प सुरक्षा हेतु निम्नलिखित क्षैतिज पट्टिकायें डाली जानी आवश्यक है:

1. कुर्सी पट्टिका (Plinth band)
2. खिड़की दहलीज पट्टिका (Window still band)
3. लिन्टल पट्टिका (Lintel band)
4. फर्श / छत पट्टिका (Roof/Floor band)

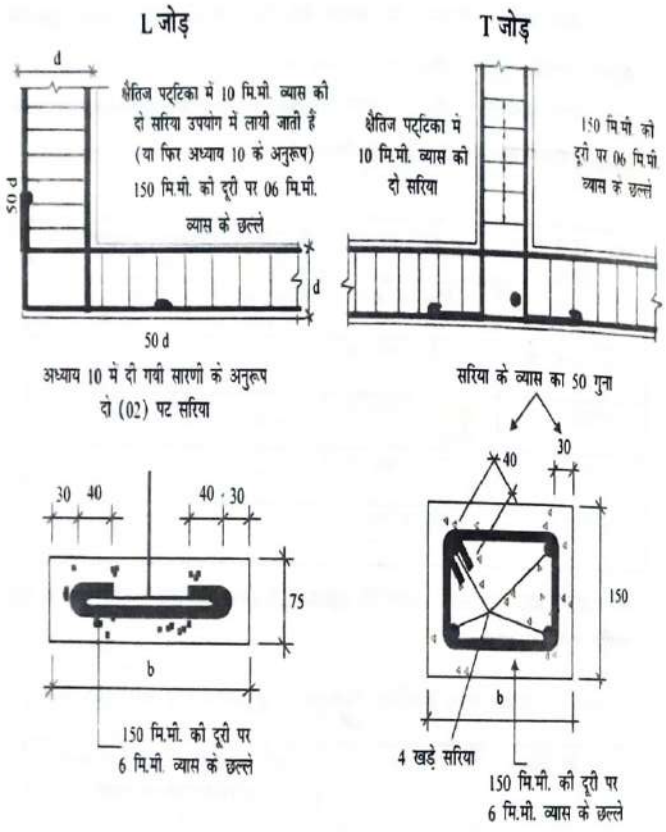

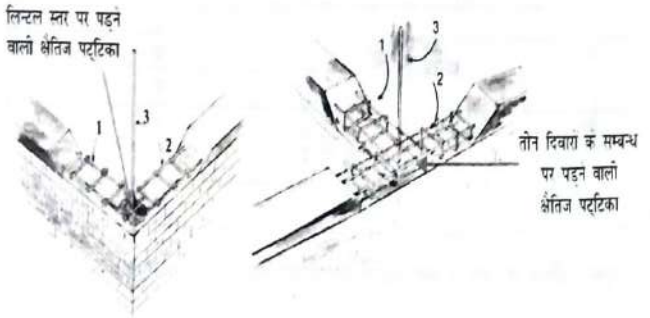

1. क्षैतिज सुदृढ़ीकरण, 2. बन्धक (छल्ले), 3. कोनों पर लम्बवत् सुदृढ़ीकरण सरिया

खुले भाग :-

किसी भी भवन में खुले स्थानों (खिड़की, दरवाजे, रोशनदान आदि) का आकार व उनकी स्थिति भवन की मजबूती को प्रभावित करती है। अत: खुले भागों की स्थिति का निर्धारण काफी सोच-विचार कर किया जाना चाहिये।

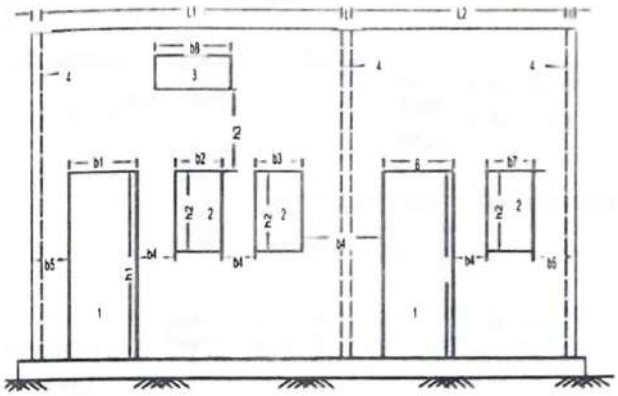

1. दरवाजा 2. खिड़की
3. रोशनदान 4. आर-पार दीवार

विभिन्न भूकम्प जोखिम क्षेत्रों के लिये स्तम्भों व खुले भागों के स्थान निर्धारण हेतु निम्नलिखित तालिका का उपयोग किया जा सकता हैं:

क्र. सं.	खुले भागों की स्थिति	विभिन्न भूकम्प जोखिम क्षेत्रों के लिये भवन के खुले भाग		
		जोन II	जोन III	जोन IV एवं जोन V
1	बाहरी दीवारों के अन्दरूनी कोने से न्यूनतम दूरी (b5)	शून्य मि.मी.	230 मि.मी.	450 मि.मी.
2	अधिकतम खुले भाग के निर्धारण के लिये (b1+b2+b3)/L1) या (b6+b7)/L2) को इससे कम होना चाहिए			
अ	एक मंजिला भवन	0.6	0.55	0.50
ब	दो मंजिला भवन	0.5	0.46	0.42
स	तीन या चार मंजिला भवन	0.42	0.37	0.33
3	निरन्तरता में पड़ने वाले खुले भागों के मध्य की न्यूनतम दूरी (b4)	340 मि.मी.	450 मि.मी.	560 मि.मी.
4	एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाले दो खुले स्थानों के मध्य की न्यूनतम दूरी (b3)	600 मि.मी.	600 मि.मी.	600 मि.मी.

* महत्वपूर्ण भवनों के लिये ऊपरी भूकम्प जोखिम जोन के मानकों को उपयोग में लाया जाना चाहिए

खुले भागो के पास सुदृढ़ीकरण

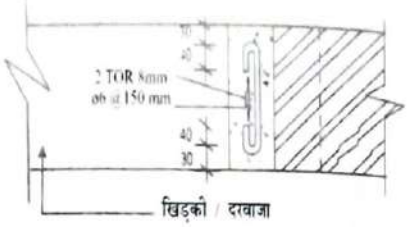

विन्यास

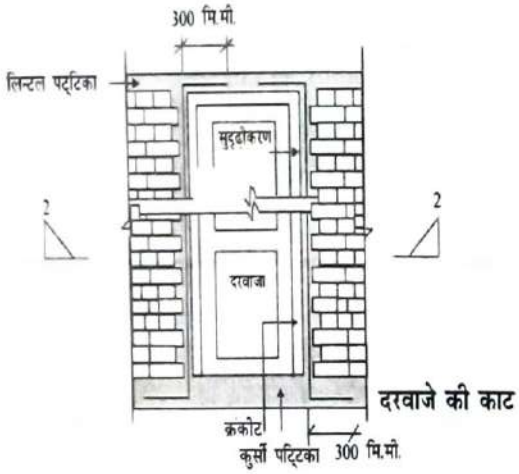

दरवाजे की काट

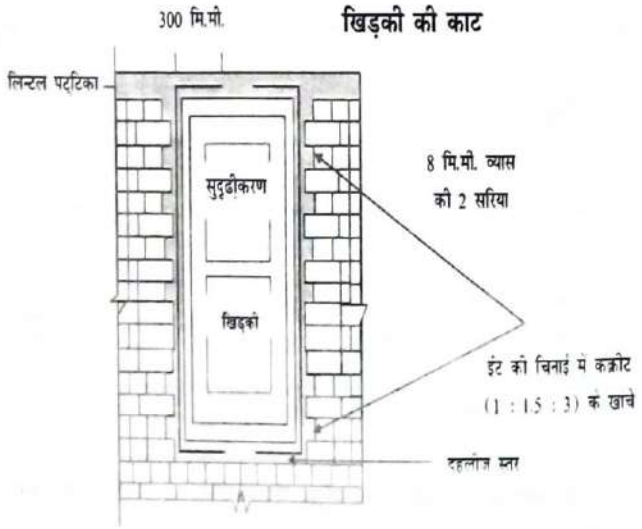

खिड़की की काट

छत :-

पटिया (slab) या कंक्रीट की छत में प्रयुक्त होने वाला सुदृढ़ीकरण :

1. मुख्य छड़ें (main bars)
2. वितरण छड़ें (distribution bars)
3. ऊपरी अतिरिक्त छड़ें (extra top bars)
4. कुर्सी छड़ें (chair bars)

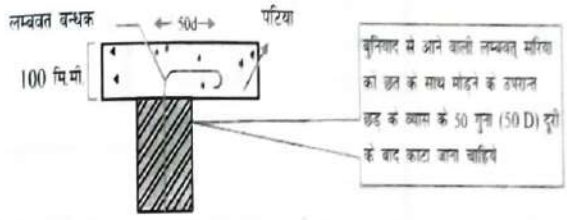

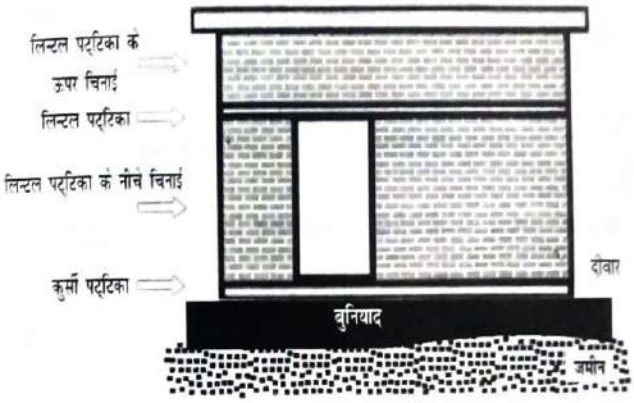

सपाट छत वाले मकान

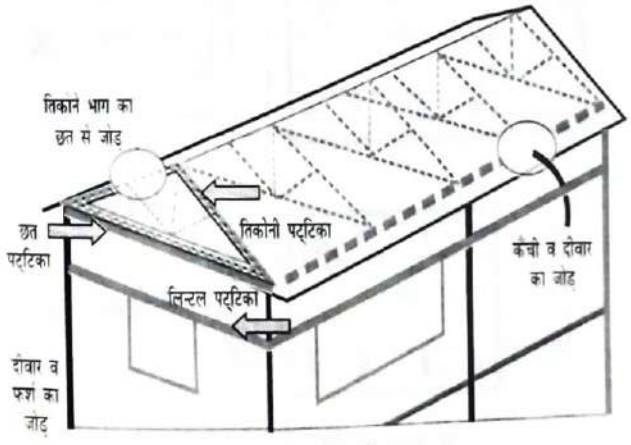

ढलवा छत वाले मकान

बीम कॉलम संरचनायें :-

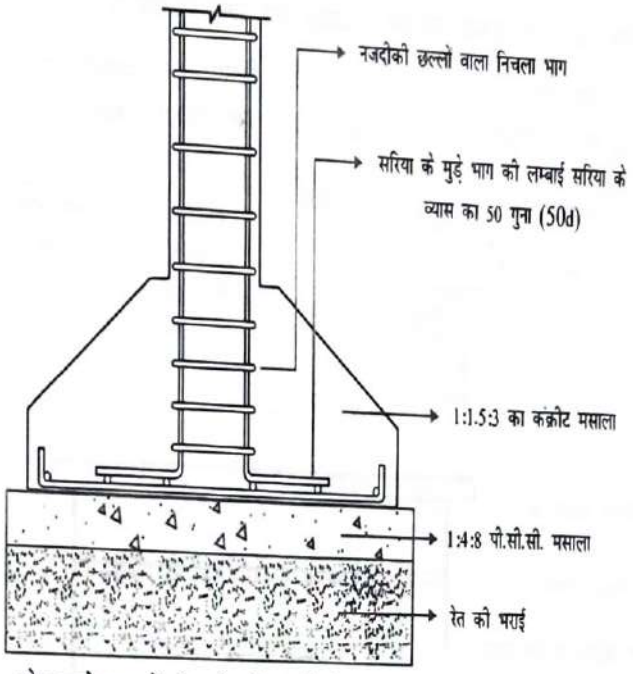

जोड़ वाले भाग में बीम के सरिया को मोड़ा जाना

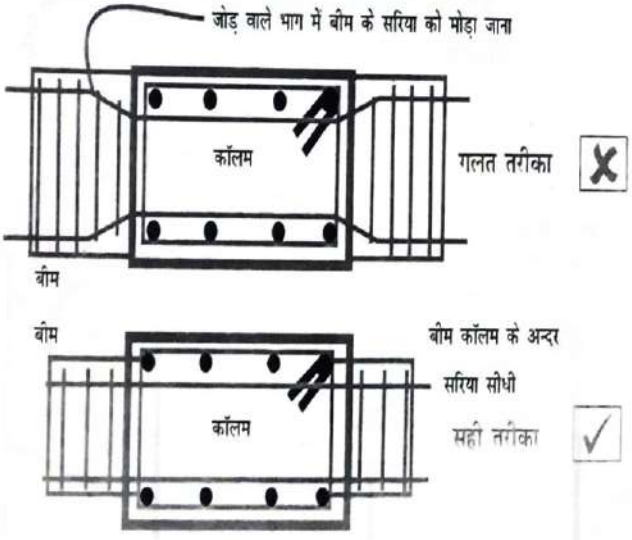

बीम कॉलम का जोड़

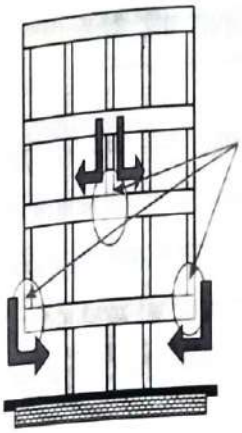

प्रभावी भार हस्तान्तरण (load transfer) के लिये कॉलमों का नींव से ऊपर तक निरन्तरता में होना आवश्यक है। अत: भवन में हवा में लटके या ऊपरी तलों से आरम्भ होने वाले (hanging columns) नही होने चाहियें।

भूकम्प आने की स्थिति में बलों के केन्द्रीकरण के कारण गोले के अन्दर पड़ने वाले भाग पर ज्यादा क्षति पहुँचेगी

सरियाओ का आच्छादन व विस्तार

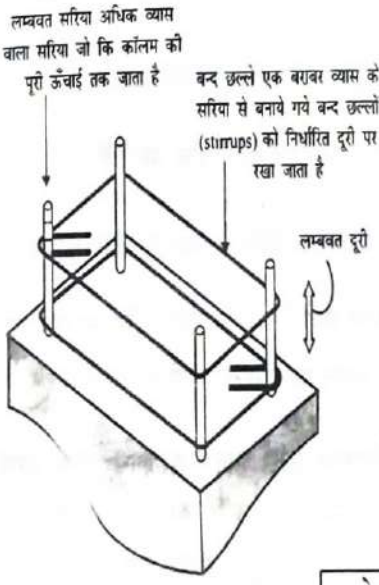

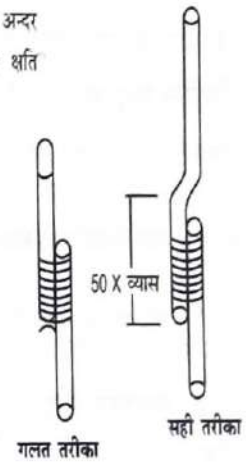

छल्लों को बाँधने का तरीका

छज्जे का विवरण

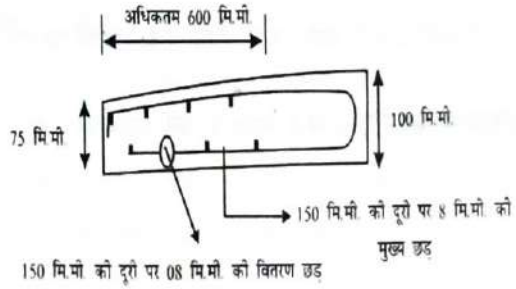

अध्याय- 6, भूकम्प आने पर क्या करें ?

भूकम्प सोचने-समझने एवं प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देता इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कि भूकम्प आने पर क्या किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये भूकम्प के समय की गयी उचित प्रतिक्रिया हमारे और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता हैं; इसलिए हम सभी के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को आत्मसात किया जाना अत्यन्त आवश्यक है :

- जहाँ है वही रहें; संतुलित रहें। हड़बड़ी घातक हो सकती हैं
- यदि घर के अन्दर हैं तो गिर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रहें
- खिड़कियों से दूर रहें; शीशे के टूटे टुकड़े क्षति पहुँचा सकते हैं
- मजबूत मेज के नीचे छुपे या अन्दरूनी दीवार या स्तंभ के सहारे खड़े रहें
- सिर पर लगी चोटें ज्यादा घातक होती हैं इसलिए चेहरे व सिर को हाथों की सुरक्षा प्रदान करें व कम्पन रूकने तक सिर को हाथों की सुरक्षा में रखें
- अगर घर से बाहर हैं तो खुली जगह तलाशें। भवनों, पेड़ों, बिजली के खम्भों व तारों से दूर रहें
- अगर वाहन में हैं तो रूकें और अन्दर ही रहें
- पुल, बिजली के तारों, भवनों, खाई और तीव्र ढ़ाल वाली चट्टानों से दूर रहें
- भूकम्प भूस्खलनों को जन्म दे सकता है, अत: सतर्क रहें

अध्याय- 7, भूकम्प सुरक्षा और हमारी तैयारी

भूकम्प से सुरक्षा के लिये तैयारी ही एकमात्र विकल्प है और यह तैयारी निश्चित ही हमारी जान बचा सकती है। हम भूकम्प के प्रति अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं और भूकम्प कभी भी हमें अपनी चपेट में ले सकता हैं। थोड़ी सी तैयारी हमारे प्रियजनों की जान बचा सकती हैं।

- सुनिश्चित करें कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जानता हैं कि भूकम्प के समय क्या करना हैं
- घर के हर कमरे में सुरक्षित स्थान तय करें (दीवार के सहारे, दरवाजे की चौखट के नीचे, मेज के नीचे)। सुनिश्चित करें कि इन स्थानों पर किसी भारी वस्तु के गिरने से खतरा नहीं हैं (अलमारी, दीवार पर लटकता सामान)
- भूकम्प में प्रतिक्रिया करने के लिये बहुत कम समय मिलता हैं इसलिए बचने और सिर बचाने का अभ्यास करें
- घर के अन्दर खतरनाक स्थानों को चिन्हित करें (खिड़की, शीशे, लटकते सामान व अलमारी के आस पास) और भूकम्प के समय स्वयं को इन स्थानों से दूर रखें
- बाहर सुरक्षित स्थान तय करें। यह मकानों, पुलों, पेड़ों, बिजली के तारों व खम्भों से दूर होने चाहिए
- घर छोड़ने के प्रत्येक मार्ग की सभी को जानकारी होनी चाहिए एवं इन रास्तों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए
- आपको व आपके परिवार के समस्त सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए व कुछ जरूरी दवाईयाँ सदैव पास रखी जानी चाहिये
- हो सकता है भूकम्प के समय परिवार के सभी सदस्य साथ न हो। बच्चे स्कूल में हो सकते हैं, महिलाएं पानी, चारे के लिये जंगल में व पुरूष खेतों में। सभी को मालूम होना चाहिए कि भूकम्प के बाद कहाँ मिलना हैं
- जानवरों की इन्द्रियाँ कई बार भूकम्प के खतरे को अपेक्षाकृत काफी पहले भाँप लेती है, इसलिए पालतू जानवरों के असंतुलित व्यवहार, बेचैनी व आक्रमकता को खतरे की पूर्वसूचना के रूप में लें एवं सतर्क रहें

भू–स्खलन

1. जहां तक सम्भव हो बिना उपयुक्त तकनीकी परामर्श के पहाड़ी ढाल के साथ छेड़छाड़ न करें।
2. वन कटान न करें और ज्यादा घास के लालच में जंगलों में आग लगाने से बचें।
3. क्षेत्र में आए भू–स्खलनों का लेखा जोखा रखें व छुटपुट पत्थर गिरने की घटनाओं को नजरअंदाज न करें।
4. मलबे के ऊपर बसने से बचें।
5. भू–स्खलन ग्रस्त ढाल के आस–पास एवं नीचे बसने से बचें।
6. भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिये निकाले गये मलबे को ढाल पर नहीं फेकें।
7. निर्माण कार्य के लिये भराव की आवश्यकता होने की स्थिति में पहले उपयुक्त पुश्तों का निर्माण करें।
8. निर्माण कार्य के लिये ढाल पर स्थित बड़े पेड़ों को न काटें।
9. बरसाती पानी को भू–स्खलन क्षेत्र में घुसने से रोकें।
10. मकान को पहाड़ी ढाल से एकदम से चिपका कर न बनायें।
11. पुश्तों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें।

भू–स्खलनः कुछ सावधानियाँ

1. भू–स्खलन संभावित क्षेत्र में बरसातों में सावधान रहें। पहाड़ी ढाल में हुये किसी भी सतही परिवर्तन की सूचना यथाशीघ्र सम्बन्धित अधिकारी को दें।
2. मानसिक रूप से घर छोड़ने के लिये तैयार रहें और खतरा भांपते ही या फिर चेतावनी मिलते ही सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लें।
3. पत्थर गिरने, चट्टानों व पेड़ों के टूटने और मलबा खिसकने की आवाजों के प्रति संवेदनशील रहें।
4. लुढ़कते पत्थर, मलबा आदि दिखायी देने पर तुरन्त बड़ी चट्टानों व पेड़ों के पीछे सुरक्षा तलाशें।
5. भूकम्प के पश्चात भू–स्खलन की जरा भी सम्भावना होने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जायें।
6. सुरक्षा की लिये ऊपरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करें।
7. नदी द्वारा किये जा रहे कटाव पर नजर रखें।
8. नदी नालों के बहाव में अचानक आयी कमी को किसी गंभीर खतरे की पूर्व सूचना समझें।
9. पानी बहने की अस्वाभाविक आवाजों के प्रति संवेदनशील रहें।
10. जंगली जानवरों का अस्वाभाविक रूप से नीचे, बस्तियों की ओर पलायन ऊपरी क्षेत्र में बाए का सूचक हो सकता हैं

भू–स्खलन के पश्चात्

1. भू–स्खलन से उत्पन्न मलबे में काफी मात्रा में पानी रहता है और इसके कई भाग दलदली हो जाते हैं। अकेले इस मलबे के ऊपर विचरण करना खतरनाक हो सकता है।

2. जहां तक सम्भव हो पानी को भू–स्खलन क्षेत्र में घुसने से रोकें।
3. भू–स्खलन के पश्चात एकदम से इस क्षेत्र में न लौटें।
4. बचाव कार्य में मलबा हटाने के लिये भारी उपकरणों का उपयोग प्रशिक्षितों के दिशानिर्देश में ही करें।

हिम–स्खलन

ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में हिमखण्डों के टूटने, बर्फ की सतहों के फिसलने व विखंडित हिम के तेजी से पहाड़ी ढाल पर प्रवाहित होने का हिम–स्खलन कहते हैं। बर्फ की भारी मात्रा एवं तीव्र गति के कारण हिम–स्खलन अस्वाभाविक क्षति का कारण बन सकते हैं। 25 अंश से कम या 60 अंश से अधिक ढाल वाली पहाड़ियां हिम–स्खलन से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती हैं।

हिम–स्खलन सम्भावित क्षेत्रों में सावधानियाँ

1. जहां तक सम्भव हो हिम–स्खलन से प्रभावित हो सकने वाले स्थानों का स्पष्ट निर्धारण करें व यात्रा की अवधि में इनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखें।
2. असुरक्षित स्थानों को एक–एक करके पार करें और सुनिश्चित करें कि एक व्यक्ति के सुरक्षित पार पहुंच जाने के उपरान्त ही अन्य व्यक्ति आगे बढे।
3. सुरक्षित स्थानों पर ही रूकें व कैम्प करें।
4. बचाव हेतु वैकल्पिक सुरक्षित मार्गों की जानकारी रखें।
5. सुरक्षित स्थानों, वैकल्पिक मार्गों एवं सम्भावित खतरों से सम्बन्धित आवश्यक जानकारियां दल के समस्त सदस्यों को दी जानी आवश्यक है।
6. हिम–स्खलन सम्भावित क्षेत्र में अकेले यात्रा न करें। दल के कुछ सदस्यों के हिम–स्खलन से प्रभावित होने पर अन्य के द्वारा खोज एवं बचाव कार्य किया जा सकता है।
7. पहाड़ों में यात्रा करते समय दल के प्रत्येक सदस्य को हमेशा एक दूसरे के सम्पर्क में रहना चाहिये और कोई भी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिये।
8. दल में पूर्व निर्धारित एवं स्पष्ट नेतृत्व का होना अत्यन्त आवश्यक है।
9. बर्फ में दब जाने की स्थिति में अतिशीत से बचाव हेतु गर्म पोशाक पहन कर रखें।
10. हिम–स्खलन में त्वरित बचाव कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समय बीतने के साथ जीवित बच निकलने की सम्भावनायें तेजी से कम होती जाती हैं और दो घण्टों के उपरान्त ही यह नहीं के बराबर रह जाती है। अतः बचाव कार्य आरम्भ करने के लिये बाहरी सहायता की प्रतिक्षा नहीं की जानी चाहिये और इस विषय की दल के सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिये।

हिम–स्खलन के प्रभाव में आने पर

1. हिम–स्खलन की सतह पर बने रहने का प्रयास करें। तैराकी वाली क्रिया लाभप्रद हो सकती है।
2. स्वयं को हिम–स्खलन के छोर की ओर धकेलने का प्रयास करें।
3. हिम–स्खलन के प्रवास द्वारा स्वये को ढाल पर धकेले जाने से बचने के लिये पेड़–पौधों व शिलाखण्डों को मजबूती से पकडे रहें।

4. मुँह को बन्द रखें व जबड़े तेजी से भीचे रखें।

हिम–स्खलन की गति कम होने पर

1. स्वये को सतह की ओर धकेलें।
2. एक हाथ की सहायता से चेहरे के आस–पास हवा के लिये स्थान बनायें।
3. दूसरे हाथ को सतह की ओर धकेलें।
4. शरीर को हिलायें–डुलायें ताकि चारों ओर हवा के लिये पर्याप्त जगह बन सके।
5. याद रखें जल्द ही, सब कुछ कंक्रीट की तरह जम जायेगा।

हिम–स्खलन के रूक जाने पर

1. स्वयं को बाहर निकाने का प्रयास करें।
2. धीरे–धीरे सांस लें। स्वयं को बाहर न निकाल पाने की स्थिति में बच निकलने के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
3. शान्त बने रहें और ऊर्जा बेकार न करें।
4. बचाव दल के पास आ जाने पर ही चिल्लायें।

बाढ़

बाढ़ पूर्व तैयारी

1. सुनिश्चित करें कि बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में निवास कर रहे समुदाय बाढ़ से उत्पन्न हो सकने वाले खतरों को भली–भांति समझते हैं।
2. अपने क्षेत्र में पूर्व में आयी बाढ़ सम्बन्धित जानकारियां इकट्ठी करें।
3. ऊँचे क्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारियों को याद रखें।
4. चेतावनी सूचक संकेतों को समझें और अपने क्षेत्र विशेष के सन्दर्भ में इन संकेतों को रूपान्तरिक करते हुये बाढ़ के सम्भावित स्तर को ध्यान में रखें।
5. अत्यधिक वर्षा या लम्बे समय तक वर्षा होने की स्थिति में प्रसारित की जा रही चेतावनियों को ध्यानपूर्वक सुनें और इनका अक्षरशः अनुपालन करें।
6. बाढ़ सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुयें पास रखें।
7. समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ बाढ़ से उत्पन्न हो सकने वाली स्थिति के विषय में चर्चा करें व सहभागिता से बाढ़ जोखिम का मानचित्रीकरण करें।
8. सामान्य परिस्थितियों में क्रमबद्ध रूप से बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें।
9. बाढ़ की स्थिति में निकासी के लिये योजना बनायें और प्रत्येक सदस्य के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करें।
10. नौकायें उपलब्ध होने पर उनका उचित रख–रखाव करें और उन्हें पेड़ या अन्य स्थिर वस्तु से दृढता से बांधें।
11. सामाजिक जल आपूर्ति श्रोतों का संरक्षण करें।
12. बाढ़ से पहले किसी भी प्रकार की सम्भावित क्षेत्र के दृष्टिगत निकासी मार्गों व घरों का निरीक्षण करें। कहीं भी संशय होने पर बाढ़ के पानी से सुरक्षा हेतु बालू से भरे बोरों से सुरक्षा दीवार बनायें।

13. समुदाय के त्वरित बाढ़ से प्रभावित हो सकने की सम्भावना होने पर जलस्तर पर लगातार नजर रखे जाने के लिये दल बनायें और चेतावनी के समुदाय में त्वरित प्रसारण हेतु परस्पर विचार–विमर्श करें।
14. समुदाय के अन्तर्गत खोज एवं बचाव दल का गठन करें। बाढ़ की स्थिति में अलग–थलग पड़ सकने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें व स्पष्ट खोज एवं बचाव कार्ययोजना/रणनीति विकसित करें।
15. समुदाय के अनतर्गत प्राथमिक चिकित्सा दल का गठन करें व सुनिश्चित करें, कि इस दल के पास आवश्यक चिकित्सकीय आपूर्तियां उपलब्ध हैं।

आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपाय

आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायां को अत्यधिक तत्परता से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक होता है। बालू से भरी बोरियों की सहायता से जल अवरोध का निर्माण किया जाना सर्वाधिक प्रचलित आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपाय है। तटबंध बनाने के लिये प्रयुक्त होने वाले बोरों में बहुत ज्यादा रेत नहीं भरी जानी चाहिये और बोरों को इस प्रकार से रखा जाना चाहिये कि प्रत्येक पंक्ति दूसरे के लम्बवत् हो। जल रिसाव को न्यूनतम किये जाने के लिये बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आने वाले तटबन्ध के छोर को मजबूत प्लास्टिक की चादर से ढका जाना चाहिये।

बाढ़ के समय

1. अपनी आपातकालीन आपूर्तियों को सुरक्षित व सूखा रखें।
2. बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आयी खाद्य सामग्रियों का उपयोग न करें।
3. बाहरी श्रोतों से प्राप्त व खराब हो गये भोजन का उपभोग न करें।
4. मर गये पशु–पक्षियों के मांस को भोजन के रूप में उपयोग न करें।
5. साफ पानी की आपूर्ति प्राप्त होने तक बरसात का पानी एकत्रित करें और उबालने के बाद ही पीने के लिये उपयोग में लायें।
6. औपचारिक रूप से सुरक्षित घोषित किये जाने तक कुंओ का पानी उपयोग न करें।
7. बाढ़ से प्रभावित खाना बनाने की गैस, बिजल व विद्युतीय उपकरणों का उपयोग न करें।
8. बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने या तैरने न दें।
9. विषैले प्राणियों जैसे सांप, बिच्छु आदि के प्रति सतर्क रहें।
10. बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आने से चर्म रोग होने की सम्भावना बनी रहती है। पानी में उतरना अनिवार्य होने की स्थिति में उपयुक्त जूते पहनें।
11. वाहन द्वारा कहीं भी बाहर जाने से पहले सुरक्षित मार्गों से सम्बन्धित सूचना लें व पानी की गहराई एवं वेग का आंकलन किये बिना पानी में कदापि न, उतरें।
12. पैदल होने पर पानी के बीच से कभी न जायें और नजदीकी ऊँचे स्थान में आश्रय लें।
13. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नदी तटों से दूर रहें।
14. बाढ़ के पानी में फंस जाने की स्थिति में वाहन को छोड़ दें और ऊँचे स्थान में शरण लें।
15. स्थानीय समाचार प्रसारणों के सम्पर्क में रहें और प्रसारित की जा रही चेतावनियों व सलाहों पर अमल करें।

16. बाढ़ का खतरा पूर्णतः समाप्त हो जाने तक स्थिति के विषय में प्रशासन, सामुदायिक नेतृत्व व समाज के साथ विचार–विमर्श करें।

घर छोड़ने की सलाह दिये जाने पर

1. समुदाय द्वारा पूर्व में बनायी गयी कार्ययोजना के अनुरूप प्रतिक्रया करें।
2. व्यक्तिगत रूप से घर छोडकर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिये जाने पर पड़ोसियों व समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित करे व उन्हें अपने गन्तव्य का पता दें।
3. अपनी बहुमूल्य वस्तुओं, अभिलेखों व अन्य को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
4. फर्नीचर व अन्य निजी वस्तुओं को बाढ़ के संभावित स्तर से ऊपर रखें।
5. रसोई गैस, बिजली व पानी की आपूर्ति श्रोत से बन्द कर दें।
6. घर के सभी दरवाजे व खिड़कियां मजबूती से बन्द करें।
7. समस्त विद्युतीय उपकरणों को बाढ के संभावित स्तर से ऊपर सुरक्षित स्थान पर रखें।
8. रेफ्रिजरेटर व फ्रीजर खाली कर दें। इन उपकरणों की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दें व इनका दरवाजा खुला रहने दें।
9. आपातकालीन आपूर्ति साथ ले जाना न भूलें।
10. दरवाजों पर ताले लगायें।
11. निकासी के लिये सुझाये गये सुरक्षित मार्ग का ही उपयोग करें।

पानी में डूबे व्यक्ति की सहायता

1. पानी में डूब रहे व्यक्ति के ज्यादा पास न जायें।
2. डूब रहे व्यक्ति को रस्सी, लकड़ी आदि पकड़ने को दें।
3. प्रशिक्षित होने पर ही तैर कर डूबते व्यक्ति को बचाने का प्रयास करें।
4. पीडित व्यक्ति के मुँह व श्वास नलिका को अवरोध मुक्त करें।
5. पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दें।
6. सांस लेना आरम्भ करने पर पीडित को पुनः प्राप्ति की स्थिति में रखें।
7. गीले कपडे निकाल दें।
8. पीडित को गर्म रखें व उसका अतिशीत के लिये उपचार करें।
9. चिकित्सकीय परामर्श लें।

बाढ़ के बाद

1. वापस लौटने का निर्णय लेने से पहले पड़ोसियों के साथ इस विषय में विचार–विमर्श करें।
2. मार्ग में चेतावनी सूचक संकेत दिखायी देने पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।
3. समाचार प्रसारणों में माध्यम से ताजा स्थिति से स्वयं को अवगत रखें।
4. बाढ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण न करें। बाढ के कारण आपकी जानी पहचानी स्थलाकृति में परिवर्तन हो सकता है।
5. बाढ द्वारा पीछे छोडे गये मलबे में खतरनाक जन्तु शरण ले सकते हैं व इसमें स्थित काँच एवं नुकीली, धारदार वस्तुओं से चोट लग सकती है।

6. बाढग्रस्त क्षेत्र में भ्रमण किया जाना आवश्यक होने पर यथासम्भव सूखी व स्थिर जमीन पर बने रहें। पानी में क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति तंत्र से खतरा हो सकता है।
7. सोने के लिये मच्छरदानी का उपयोग करें।
8. नदी के किनारों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराये गये क्षेत्रों से दूर रहें।
9. जब तक बाढ प्रभावित भवनों का वयस्कों द्वारा निरीक्षण न किया जाये बच्चों को उनमें प्रवेश न करने दें।
10. बाढ प्रभावित घर में विद्युत आपूर्ति तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होने एवं घर के कुछ समय तक सूख जाने तक विद्युत आपूर्ति आरम्भ न करें।

भविष्य में बाढ़ व इसके प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित करें।

1. बाढ़ के समय और उसके बाद की घटनाओं की विवेचना के लिये समुदाय में चर्चा करें व अगली बाढ़ का सामना करने के लिये बनायी जा रही कार्ययोजना में सभी सुझावों का समावेश करें।
2. समुदाय के सभी व्यक्तियों को पास–पड़ोस की सफाई में हाथ बांटने के लिये प्रोत्साहित करें।
3. भू–क्षरण को कम करने के लिये सामुदायिक स्थानों व घरों के आस–पास उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगायें।
4. पेड़ काटे जाने पर सामुदायिक प्रतिबन्ध लगाएं व लोगों को वृक्षारोपण के लिये प्रेरित करें।
5. जंगलों में आग न लगायें और दूसरों को भी ऐसा न करने दें।
6. कूड़ा, करक व मलबा नदी, नालों एवं नहरों में न फेंकें।
7. प्लास्टिक पदार्थों व थैलियों का निस्तारण जलधाराओं में न करें।
8. जलधाराओं में अतिक्रमण न करें।

बज्रपात

1. बादलों की गर्जना सुनने या बिजली चमकती दिखायी देने पर तुरन्त सुरक्षित स्थान में आश्रय लें।
2. आंधी–बिजली की स्थिति में महत्वपूर्ण विद्युतीय उपकरणों (जैसे फ्रिज, कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि) को विद्युत आपूर्ति लाईन से विच्छेदित कर दें (इनके प्लग निकाल दें) व दूरभाष का उपयोग करने से बचें।
3. आंधी–बिजली के समय नहाने या फिर अन्य कार्यों के लिये नल के पानी का उपयोग न करें।
4. बज्रपात के कारण अधिकतर मौत श्वास या हृदय गति रूकने से होती है। बज्रपात से पीडित व्यक्ति को मुँह से कृत्रिम श्वास दिये जाने (mouth-to-mouth-resuscitation) एवं सीने पर दबाव बनाने (cardiopulmonary resuscitation; CPR) वाली चिकित्सा पद्धति से लाभ होता है।
5. अपने घर व कार्यालय में तड़ितचालक (lightening conductor) स्थापित करवायें।

6. आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नम्बर पास रखें।
7. रेडियो या टेलीविजन से मौसम की जानकारी लें।

अगर आप घर के बाहर हैं तो

1. पानी, ऊँचे–खुले स्थानों, पेड़, खम्भों या धातु की वस्तुओं से दूर रहें।
2. सुरक्षित भवन (जिसमें पानी व विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हो) या फिर पूर्णतः बन्द वाहन (जैसे बस, ट्रक, कार) में आश्रय लें व खिड़कियों को पूर्णतः बन्द कर लें।
3. असुरक्षित, खुली अवसंरचनाओं में आश्रय लेने से बचें।
4. जमीन पर न लेटें, इस प्रकार आप अपेक्षाकृत बड़ और आसान लक्ष्य बन जायेंगे।
5. बिजली चमकने के समय उचित आश्रय उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वये को छोटो लक्ष्य बनाये व जमीन के समीप रहें। घुटनों को जमीन पर रखें और कानों को हाथों से बन्द करते हुये बाहों को घुटने के समीप लायें।
6. यदि नौकायन कर रहे है या तैर रहे हैं तो यथाशीघ्र तट पर पहुंचे व आश्रय स्थल तलाशें।
7. मीनार व खम्भे जैसी ऊँची अवसंरचनाओं एवं विद्युत आपूर्ति लाईनों से दूर रहें।
8. अपेक्षाकृत छोटे वृक्षों के नीचे शरण लें।

याद रखें

1. आंधी–बिजली की स्थिति में बाहर खुले में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं होता।
2. टेलीफोन व पानी की लाईन में विद्युत प्रवास हो सकता है।
3. बज्रपात के कारण घायल व्यक्ति को छूना पूर्णतः सुरक्षित है। इससे झटका नहीं लगता।
4. बिजली खुली होने से बज्रपात का खतरा नहीं बढ़ता।
5. बिजली गिरने को खिड़की से न देखें, अन्दर के कमरे अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होते हैं।
6. आंधी बिजली की स्थिति में वर्षा से बचने के लिये ऊंचे पेड़ के नीचे आश्रय न लें।
7. रबर के जूते व टायर बज्रपात से सुरक्षा प्रदान नहीं करते।
8. प्रशिक्षित होने पर ही बज्रपात से पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा का प्रयास किया जाना चाहिये।

सर्प दंश

1. सांप द्वारा पुनः काटे जाने के जोखिम को दूर करने हेतु पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी सुरक्षित स्थान पर ले जायें।
2. सम्भव हो तो सांप की प्रजाति विषयक जानकारी इकट्ठा करें।
3. पीडित व्यक्ति को ढाढस बधायें।
4. तंग कपडे व अंगूठी, घड़ी आदि निकाल दें।
5. घाव को साबुन व पानी स धो लें।
6. सम्पूर्ण प्रभावित भाग पर जीवाणु–रोधक मरहम लगायें।
7. साप द्वारा काटे गये शरीर के भाग को ऊंचा उठा कर रखें।
8. पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें।
9. सांप द्वारा काटे गये व्यक्ति को पीने के लिये किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ न दें।

10. पीड़ित व्यक्ति को सोने न दें।
11. पीडित व्यति को गर्म रखें।
12. पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र चिकित्सालय स्थानान्तरित करें व स्थानान्तरण की अवधि में अधिक शारीरिक क्रिया न होने दें।

सर्पदंश : क्या न करें ?

1. पीड़ित व्यक्ति को उत्तेजित न करें और न ही चलने–फिरने दें।
2. सर्पदंश के स्थन पर किसी भी प्रकार का घाव न करें।
3. सांप को पकड़ने का प्रयास न करें। प्रशिक्षित व्यक्ति सर्पदंश के आधार पर उपचार सम्बन्धित उचित निर्णय ले सकता है।
4. पीडित व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ न दें।

सर्पदंश से बचाव :

1. सांप को अकेला छोड़ दें। कई बार सांप को मारने या फिर उसके ज्यादा नजदीक जाने के प्रयास के कारण लोक सर्पदंश का शिकार बन जाते हैं।
2. यदि मजबूत चमड़े के जूते न पहने हों तो ऊँची घास वाले स्थानों से दूर रहें और जहां तक सम्भव हो स्वयं को पगडंडियों तक सीमित रखें।
3. अपने हाथ व पैर को उन स्थानों से यथासम्भव दूर रखें जहां पर आपकी दृष्टि न पडती हो।
4. जब तक आप सांप की आक्रमण परिधि से सुरक्षित दूरी पर न हों पत्थर व लकड़ी उठाने का प्रयास न करें।
5. चट्टानी क्षेत्र में भ्रमण करते समय सावधान रहें।

घरेलू आग

1. भवन के हर तल में धुवें का पता लगाने वाले उपकरण स्थापित करें।
2. आग की स्थिति का सामना करने के लिये स्पष्ट निकासी योजना बनायें।

शयन कक्ष में

1. बिस्तर में बीड़ी/सिगरेट न पियें।
2. कपड़े सुखाने के लिये हीटर का उपयोग न करें और हीटर को ज्वलनशील वस्तुओं से कम से कम 03 फीट दूर रखें।
3. हीटर चलाने के लिये बिजली को विस्तारित तारों का उपयोग न करें।
4. बिना निगरानी के हीटर को खुला न छोड़ें और हीटर चला कर न सोयें।
5. हीटर को बन्द करने के बाद प्लग निकाल दें।

बैठक में

1. राखदान को कुर्सी या सोफा के हत्थों पर न रखें।
2. राखदान में जलती बीड़ी/सिगरेट न छोड़ें।
3. बिजली के तारों को दरी या गलीचे के नीचे या फिर चलने–फिरने के स्थान से न गुजारें।

रसोई में

1. खाना बनाते समय रसोई न छोडें। यदि रसोई छोड़नी आवश्यक हो तो स्मरण पत्र की तरह कोई बरतन साथ ले जायें।
2. ढीले, लटकने वाले और कृत्रिम रेशों से बने कपड़े पहन कर खाना न बनायें।
3. खाना पकाने की गैस के बर्नर पर चिकनायी न जमने दें।
4. बिजली के एक ही प्लग पर कई उपकरण न लगायें।
5. खाना पकाने की गैस के समीप लटकने वाले पर्दे न लगायें।
6. रात को सोने से पहले खाना पकाने की गैस हमेशा रेगुलेटर से बन्द किया जाना सुनिश्चित करें और लम्बे समय के लिये बाहर जाने पर रेगुलेटर को सिलेन्डर से निकाल करे अलग रखें।
7. खाना बनाते समय बाल बाँध कर रखें।
8. ध्यान रहे कि आपकी खाना पकाने की गैस के बटन को बच्चे आसानी से न घुमा पायें।
9. खाना पकाने की गैस के ऊपर रखे पतीलों के हैन्डल हमेशा बीच की ओर रखें ताकि यह बच्चों की पहुँच से अपेक्षाकृत दूर रहे व छेडे जाने पर एकदम से न गिरे।
10. दियासलाई को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
11. गर्म बर्तन पकडने व बर्तन पोछने के लिये प्रयुक्त होने वाले कपडों को खाना पकाने की गैस के बर्नर से दूर रखें।
12. खाना बनाते समय गैस के ऊपर न झुकें।
13. खाना पकाने की गैस रखने के स्थान के ऊपर बनी अलमारियों में चाकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि न रखें। इन तक पहुँचने के प्रयास में बच्चे खुद को भी चोट पहुँचा सकते हैं।
14. खाना बनाने की गैस के बर्नर के ऊपर रखे गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिये कपडे का प्रयोग न करें। इसमें प्रायः आग लग जाती है।
15. तेल या घी में लगी आग को बुझाने के लिये पानी का उपयोग न करें। इसके लिये खाने का सोडा, नमक या फिर बन्द ढक्कन का प्रयोग करें।
16. खाना पकाने की गैस के रिसाव होने की आशंका होने पर बिजली के बटन न ही खोलें और न ही बन्द करें, दियासलाई न जलायें और न ही फोन का प्रयोग करें।
17. खाना पकाने की गैस का रिसाव होने की स्थिति में खिड़की, दरवाजे खोल दें व रेगुलेटर को गैस सिलेन्डर से विच्छेदित कर दें। गैस की गंध कम होने पर प्रतीक्षा करें।
18. गैस की गंध अति तीव्र होने पर तुरन्त घर से बाहर चले जाये और पड़ोसी के फोन से गैस कम्पनी या अग्निशमन बल को फोन करें।
19. गैस का प्रयोग पुनः आरम्भ करने से पहले अपनी गैस कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
20. अपने पारिवारिक चिकित्सक के साथ-साथ पुलिस व अग्निशमन बल के फोन नम्बर सदैव साथ रखें।

आग की स्थिति में क्या करें?

1. किसी भी तरह से आग को बुझायें। पानी से आग बुझने के साथ-साथ तापमान कम होता है और आग से जले व्यक्ति को भी आराम मिलता है।
2. कपड़ो में आग लगी हो तो न दौड़ें। इससे आग और ज्यादा फैलेगी।
3. कपड़ो में लगी आग से प्रभावित व्यक्ति को कम्बल, मोटे कपड़े में लपेटें और जमीन पर लिटायें। कम्बल को अच्छी तरह शरीर से लपेटें और कम्बल पर हाथ की थपकियों से आग को बुझायें। पीड़ित व्यक्ति को जमीन पर न लुढ़कायें।
4. यदि आग शरीर के पिछले भाग की ओर लगी हो तो आग से जले व्यक्ति को पेट के बल लिटायें, अन्यथा पीठ के बल लिटायें।
5. आग से घिरे कमरे में साफ हवा जमीन के नजदीक उपलब्ध होगी, अतः लेट कर आग बढ़ें।
6. चेहरे को गीले रूमाल से लपेट लें। इससे साँस लेने में सुविधा होगी।
7. आग से घिरे कमरे के खिड़की-दरवाजे न खोलें। बाहरी हवा आग को और भड़कायेगी।
8. जल गये व्यक्ति के शरीर से चिपक गये कपड़ों को निकालने का प्रयास न करें।
9. शरीर के जले भाग को ठंडे पानी में डुबोयें।
10. शरीर के जले भाग में नमक-पानी का घोल लगायें।
11. जल गये शरीर के भाग में रूई या चिकनाईयुक्त मरहम का प्रयोग न करें।
12. शरीर के जले भाग को ऊँचा उठा कर रखें।
13. छालों से छेड़छाड़ न करें।
14. पीड़ित व्यक्ति को गर्म पेय पदार्थ पीने को दें।
15. जल गये स्थान पर सूखी पट्टी का प्रयोग करें या साफ कपडे से ढकें।
16. पीड़ित व्यक्ति को शान्त रखें।
17. यथाशीघ्र चिकित्यकीय परामर्श लें।
18. आपातकालीन निकासी मार्गों को अवरोधमुक्त रखें और इनसे सम्बन्धित जानकारी सदैव ध्यान में रखें।

वनाग्नि

याद रखें

1. ज्वलनशील पदार्थों की सहायता से आग का फैलना स्वाभाविक है।
2. ज्वलनशील पदार्थ के गर्म सतह के सम्पर्क पर आने पर या फिर सूर्य की किरणों के ज्वलनशील पदार्थ पर केन्द्रित होने पर आग स्वतः प्रज्वलित होगी।
3. अन्य पर्यावरणीय कारकों (जैसे कि वायु एवं ऊष्मा प्रवाह) की सहायता से आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलेगी या फिर पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण बल का उपयोग कर ज्वलनशील पदार्थ तक पहुँच जायेगी।
4. आग प्लास्टिक, रबर व कृत्रिम कपड़ों को तेजी से गला देगी।
5. आग आपके अनुमान से कहीं तेज एवं अप्रत्याशित दिशा में फैल सकने में सक्षम है, अतः सर्तक रहें।

6. उचित स्थितियों की उपलब्धता होने तक (ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन एवं ऊष्मा) आग लम्बे समय तक सुशुप्त रह सकती है।
7. आग से उत्पन्न सह–उत्पाद भी आग जितने ही खतरनाक हो सकते हैं।
8. खुले स्थानों पर आग जलाने (Camp fire) पर सुनिश्चित करें कि इस हेतु आपके द्वारा चयनित स्थान तीव्र ढाल पर न हो और न ही इस स्थान के आस–पास ऊपर से लटक रही डालियाँ, सूखी लकडियाँ, घास व पत्तियाँ हो। कई बार खुले में जलायी गयी आग वनाग्नि के कारण बन जाती है। अतः खुले में आग जलाते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहियेः
9. अतिरिक्त लकडियों को सुरक्षित दूरी पर रखा जाना चाहिये।
10. आग बुझाने के लिये आवश्यक मात्रा में पानी व बेलचा साथ में होना चाहिये।
11. आग जलाने के लिये आरम्भ में छोटी सूखी टहनियों का प्रयोग किया जाना चाहिये और सबसे बड़ी लकडी का सबसे बाद में लगाया जाना चाहिये।
12. आग के बहुत ज्यादा बड़ा न बनाये। उपयुक्त मात्रा में अंगारे होने पर छोटी आग से भी काफी ऊष्मा मिल जाती है।
13. आग को जलता छोड कर अन्यत्र न जाये। हल्की सी हवा आग को भड़का सकती है।
14. स्थान को छोडने से पहले सुनिश्चित करें कि आग पूरी तरह से बुझ गयी है।
15. जलते हुए कोयलों को बुझाने के लिये कभी भी सीधे जमीन में न दफनायें। उपयुक्त परिस्थितियाँ होने पर यह कुछ समय बाद पुनः आग भड़का सकते हैं।

निम्नलिखित बिन्दुओं को सदैव ध्यान में रखें

1. हवा तेज होने पर आग न जलायें।
2. सौन्दर्य प्रसाधनों व अन्य में प्रयुक्त होने वाले स्प्रे आदि को आग में न डाले। गर्म होने पर यह फट सकते हैं।
3. इस्तेमाल की गयी बैटरी आग में न डाले। कुछ विशिष्ट प्रकार की बैटरी (Nickel-Cadmium) आग के सम्पर्क में आने पर विस्फोट कर सकती है।
4. जलती बीड़ी–सिगरेट न फेंकें।
5. बीडी–सिगरेट को जमीन पर रगड़ करे बुझायें। इन्हें लकड़ी पर रगड़ कर नहीं बुझाना चाहिये।
6. दुबारा ईंधन भरे जाने से पहले सुनिश्चित करें कि लालटेन, पैट्रोमेक्स व स्टोव पूर्णतः ठंडे हो गये हैं। ईंधन के बाहर छलक जाने की स्थिति में उपकरण को जलाने से पहले दूर ले जायें।
7. वाहन एवं टैण्ट के अन्दर लालटेन व स्टोव न जलायें।
8. वाहन को ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखी पत्तियों व घास से दूर रखें।
9. घास में आग लगाने से बचे व दूसरों को ऐसा न करने के लिये प्रेरित करें।
10. वनाग्नि से होने वाली क्षति के प्रति दूसरों को जागरूक करें।
11. झाडियाँ साफ करने के उद्देश्य से लगायी गयी आग कई बार अनियंत्रित हो जाती है।
12. झाडियाँ साफ करने के लिये आग का प्रयोग किये जाने पर आग के फैलाव को नियंत्रित

करने व उस पर नजर रखने के लिये पर्याप्त संख्या में लोगों को जुटाये व आग बुझाने के लिये बेलचा इत्यादि साथ रखें।
13. आग से वन सम्पदा को बचाने के लिये विचार–विमर्श करें व आवश्यक प्रतिबन्ध लगायें।
14. वन विभाग द्वारा किये जा रहे वनाग्नि सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में सहयोग दें।
15. वनाग्नि सम्बन्धित सूचना यथाशीघ्र वन विभाग को दी जानी सुनिश्चित करें।

सड़क दुर्घटना

1. 50 सी0सी0 तक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों का लाईसेंस केवल 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही अनुमन्य है।
2. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
3. नाबालिगों (18 साल से कम आयु) को वाहन न चलाने दें।
4. सड़क चलने के लिये है, सड़क पर बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई खेल न खेलने दें।
5. सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल बसों में पंक्तिबद्ध हो कर प्रवेश करें।
6. सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को स्कूल ले जाने वाला ऑटोरिक्शा/विक्रम चालक वाहन में निर्धारित संख्या में ही बच्चों को बैठ रहा है। आपका यह जानना आपके बच्चे की सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
7. जिन ऑटो/विक्रम वाहनों का प्रयोग स्कूल के बच्चे लाने/ले जाने के लिए किया जा रहा है, उनमें बच्चों की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध होना आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा/यातायात के नियम

दुपहिया वाहन चालकों के लिये

1. व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिगत दुपहिया वाहन चालकों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (आई0एस0आई0) द्वारा प्रमाणित हैल्मेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिये।
2. साईकिल सवारों को यह याद रखना चाहिये कि अन्य वाहन उनकी तुलना में अधिक तीव्र गति से चल रहे हैं। अतः साईकिल मोड़ने से पूर्व उनके द्वारा पर्याप्त अवधि तक स्पष्ट संकेत दिये जाने चाहिये।

पैदल चलने वाले यात्रियों के लिये

1. पैदल यात्रियों द्वारा जेबरा क्रॉसिंग (सड़क पर बने काली–सफेद धारियों वाले स्थान) से ही सड़क पार की जानी चाहिये।
2. पैदल यात्री द्वारा सड़क पार करने से पूर्व दायें तथा बायें देख कर सुरक्षा के प्रति स्वयं को आश्वस्त किया जाना आवश्यक है।
3. रात्रि में हल्के रंग के कपड़े पहनना सुरक्षा की दृष्टि से वांछित है।
4. पैदल पार पथ (Subway) सुविधा के उपलब्ध होने पर सडक पार करने के लिये इसका उपयोग किया जाना चाहिये।

5. कभी भी दौडकर सड़क पार न करें।
6. चलते वाहन में चढने तथा उतरने का कदापि प्रयास न करें।

ओवरटेकिंग के सम्बन्ध में

1. ओवरटेक करने से पूर्व हार्न दें तथा आगे चल रहे वाहन के चालक द्वारा उचित संकेत दिये जाने पर ही सुविधापूर्वक ओवरटेक करें।
2. कभी भी मोडों पर ओवरटेक करने का प्रयास न करें।
3. बाँयी ओर से ओवरटेक करने का प्रयास न करें। ओवरटेक हमेशा दाहिनी ओर से किया जाना चाहिये।
4. स्वयं ओवरटेक कर रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कदापि न करें।

वाहन चालकों के लिये निर्देश

1. चौराहों पर यातायात संकेतों (सिग्नल) का पालन करें।
2. अपने आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाकर रखें।
3. वाहन को अत्यधिक तेज गति से न चलायें।
4. मोडों पर तथा चौराहों पर वाहन की गति धीमी करें।
5. बाँये तथा दाँये मुडने से पूर्व उचित संकेत दें व गति धीमी करें।
6. अधिकांश चौराहों पर बाँयें मुडने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। यह सुनिश्चित करें कि पीछे आ रहे वाहनों के लिये बाँयें मुड़ने हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
7. अपने पीछे आ रहे वाहन को आगे जाने हेतु इंडीकेटर से (प्रकाश संकेत) संकेत न दें।
8. चार पहिया वाहन में सामने की ओर मुँह करने बैठने वाले सभी व्यक्तियों के लिये सुरक्षा पेटी (बैल्ट) का पहनना कानूनन अनिवार्य है।
9. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें।
10. वाहनों के फुटबोर्डों पर लटककर यात्रा न करें।
11. वाहन में इधर-उधर निकला हुआ बोझा न ले जायें। यदि वाहन में माल बाहर की तरफ निकला हो तो दिन में वाहन के पीछे लाल कपड़ा लगायें तथा रात्रि में लाल बत्ती का उपयोग करें।
12. अग्नि शमन (फायर ब्रिगेड) एवं रोगी (एम्बुलेंस) वाहनों को पहले जाने के लिए रास्ता दें।
13. वाहन में खराबी होने पर उसकी मरम्मत कराने के उपरान्त ही संचालन करें।
14. नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलायें।
15. दुर्घटना में आहत व्यक्ति को डॉक्टर के पास या निकटतम अस्पताल पहुँचाने में सहायता करें।
16. दुर्घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को देना आपका कर्तव्य है।
17. वाहन में वीडियो/टेलीविजन का उपयोग चालक कक्ष में नहीं किया जाना चाहिए तथा इन्हें इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि इनसे चालक का ध्यान भंग न हो।
18. वाहन में मल्टीटोन अथवा प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
19. "ONE WAY" पर विपरीत दिशा में वाहन चलाया जाना वर्जित होता है। ऐसा न करें।

20. विक्रम वाहनों तथा बसों में यात्रियों को चढ़ाने व उतारने के लिये इस हेतु निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें।
21. चालक केबिन में अधिक व्यक्ति न बैठायें।

पहाड़ी मार्ग पर अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है

1. निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन न चलायें।
2. मोड़ों पर पास न मांगे और न ही ओवरटेक करने का प्रयास ही करें।
3. पर्वतीय मार्गो पर चढ़ाई पर चढ़ते हुये वाहन को पहले जाने देना सुनिश्चित करें।
4. ढलान में न्यूट्रल गियर पर वाहन का संचालन न करें तथा वाहन की गति धीमी रखें।
5. पर्वतीय मार्गों पर चढ़ायी पर चढ़ते हुये जिस गियर का प्रयोग किया जायें, उस मार्ग पर उतरते हुये भी उसी गियर का प्रयोग किया जाना चाहिये।
6. मोड़ो पर हॉर्न का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रात्रि में पर्वतीय मार्गों पर मोड़ों पर डिप्पर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
8. वाहन की यांत्रिक दशा सही रखें। खराब दशा वाले वाहन का प्रयोग न करें।
9. वाहन में प्राथमिक चिकित्सा पेटी (फस्ट एड बॉक्स) तथा लकड़ी का गुटका अवश्य रखें।
10. वाहन चालक द्वारा लगातार 08 घंटे से अधिक वाहन नहीं चलाना चाहिये।
11. वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठाने चाहिये।
12. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ चालक द्वारा वाहन नहीं चलाया जाना चाहिये।
13. चप्पल पहनकर वाहन का संचालन नहीं किया जाना चाहिये।
14. वाहन चलाते समय वाहन चालक से बातचीत न करें। ऐसा करने से चालक का ध्यान भंग हो सकता है, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है।
15. कोहरा होने पर फॉग लाईट का प्रयोग करें।
16. वर्षा के दौरान पानी हटाने के लिये वाईपर्स का प्रयोग करें।

पानी भरे रास्ते से गुजरते समय ध्यान रखें

1. पानी भरे रास्ते पर प्रवेश करने से पहले वाहन को पहले या दूसरे गियर में लें।
2. जब वाहन गहरे पानी में हो तो गियर न बदलें। अपनी स्पीड को क्लच से नियंत्रित करें और एक्सीलेटर दबा कर रखें ताकित एक्जॉस्ट पाइप से पानी न घुस सके।
3. पानी पार करने के बाद ब्रेक पैडल को कई बार दबायें ताकि ब्रेक व ब्रेक-शू सूख जायें।

मानसिक आघात

क्या न करें

1. शराब का अत्यधिक सेवन न करें।
2. परिस्थितियों या परिणामों के प्रति संज्ञा शून्य होने के उद्देश्य से शराब या अन्य मादक दवाओं या पदार्थों का सेवन न करें।
3. अन्य व्यक्तियों से अकारण दूरी न बनायें।
4. स्वयं को अकेला न रखें।
5. शौकिया गतिविधियों को बन्द न करें।

6. काम पर जाना न छोड़ें।
7. चाय या कॉफी का अत्यधिक सेवन न करें।
8. पुनः प्राप्ति को ले कर कोई बड़ी आकांक्षा न रखें।
9. कोई बड़ा एवं नया कार्य अचानक से आरम्भ न करें।
10. बहुत आवश्यकता न होने पर अपनी दिनचर्या व गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न करें।

क्या करें

1. वांछित आराम करें।
2. ठीक से पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन करें।
3. पर्याप्त व नियमित व्यायाम करें।
4. मित्रों, रिश्तेदारों व शुभचिन्तकों के साथ घटना की चर्चा करें व अपने अनुभव बाँटें।
5. मनोरंजन के लिये समय निकालें।
6. सामान्य दिनचर्या का पालन करें।
7. मित्रों व परिवार के साथ समय व्यतीत करें।
8. इस घटना से सम्बन्धित सभाओं में प्रतिभाग करें।
9. सुखद, शांत व आराम देने वाली घटनाओं को याद करें।
10. इस प्रकार की घटनाओं से परेशान होना स्वाभाविक है। इसके लिये तैयार रहें।
11. किसी भी तरह की शारीरिक असमान्यता की में चिकित्सकीय परामर्श लें।

घायलों की आपातकालीन सहायता हेतु मुख्य बिन्दु

दिल का दौरा

1. तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें।
2. पीडित को आराम करने दें।
3. पीडित को एक एसप्रिन (अगर एसप्रिन से एलर्जी न हो तो) दें।
4. पीड़ित की स्थिति का ध्यान रखें।
5. पीड़ित को पीने को पानी न दें।

साँस अटकना

1. पीड़ित को खांसने को प्रेरित करें।
2. छाती और पेट के बीच में दबाव दें।
3. पीडित के बेहोश होने पर सी.पी.आर. दें।
4. साँस देने से पहले सुनिश्चित करें कि मुँह में कुछ तो नहीं है।

सिर/दिमाग की चोट

1. पीडित को लिटा दें।
2. रीढ़ की हड्डी में चोट होने पर पीड़ित की गर्दन व सिर स्थिर रखें।
3. पीडित की साँस व प्रतिक्रिया जांचें।

4. दिमाग की चोट होने पर पीडित को कुछ खाने-पीने को न दें।
5. चिकित्सकीय सहायता लें।

खून बहना

1. कीटाणुरहित दस्ताने या किसी अवरोध का प्रयोग करें और घाव पर सीधा दबाव दें।
2. पीडित अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठायें।
3. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पट्टी का इस्तेमाल करें और दबाव बनायें।
4. रालर पट्टी का प्रयोग करें।
5. दबाव बिन्दुओं की जानकारी होने पर उपयुक्त स्थान पर दबाव दें।

नाक से खून बहना

1. रोगी को सिर की ओर झुका कर बैठायें।
2. 10–15 मिनट तक रोगी की नाक पर दबाव बनायें रखें।
3. खून के गले में जाने की स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श लें।
4. 10–15 मिनट बाद दबाव हटा दें, खून का बहाव न रूकने पर पुनः दबाव दे।
5. नाक पर ठंडी पट्टी करें।

आँख की चोट

1. आँख से खून या आँख में कुछ घँसं होने की स्थिति में चिकित्सकीय सहायता लें।
2. आँख में चोट लगने पर बर्फ की पट्टी लगायें।
3. आँख में धंसी हुई वस्तु को स्वयं निकालने का प्रयास न करें।
4. चोटग्रस्त व स्वस्थ दोनों आँखों को ढक कर रखें।
5. आँख में घुसे छोटे कणों को सावधानी से निकालें।

हड्डी टूटना

1. पीड़ित को आराम करने का परामर्श दें।
2. क्षतिग्रस्त अंग के ऊपर व नीचे के भाग को बाँध कर स्थिर कर लें।
3. चिकित्सक से सम्पर्क करें।
4. पीडित भाग पर ठंडी पट्टी रखें।
5. कमठी का प्रयोग करें।

काटना तथा डसना

1. जानवर के काटने पर घाव को पानी तथा साबुन से धोयें।
2. मधुमक्खी के काटने पर डंक निकालें व घाव पर ठंडी पट्टी रखें।
3. हर स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श लें।

जलना

1. पीड़ित को आग के स्त्रोत से सुरक्षित दूरी पर ले जायें।
2. जले हुये भाग पर ठंडा पानी डालें।

3. अतिरिक्त चीजें जैसे गहने, कपड़े आदि हटा दें।
4. हल्का जला होने पर घाव पर ढीली पट्टी बाँधें।
5. पीड़ित को सांत्वना दें।

बेहोश होना

1. पीड़ित व्यक्ति की सांस व प्रतिक्रिया जांचें।
2. पीड़ित व्यक्ति को लिटा दें और पैरों को 8–12 इंच ऊपर उठा कर रखें।
3. गिरने से लगी अतिरिक्त चोट की जांच करें।
4. पीड़ित को सांत्वना दें।
5. चिकित्सकीय परामर्श लें।

लू लगना

1. चिकित्सक से सम्पर्क मार्ग
2. पीड़ित को ठंडे स्थान पर ले जायें।
3. पीड़ित के कपड़ों को ढीला कर दें।
4. पीड़ित को पानी या गी कपड़े से ठंडा करें।
5. शरीर का तापमान 100° फैरेनहाइट या 37.80° सेल्सियस तक ठंडा करते रहें।

जहर निगलना

1. पीडित की उम्र, निगले गये जहर की किस्त, मात्रा और समय के बारे में जानकारी लें।
2. तेजाब या क्षार निगले जाने की स्थिति में पीड़ित को पीने के लिये पानी न दें।
3. चिकित्सकीय परामर्श के अनुरूप पीड़ित को उल्टी करवायें।
4. पीड़ित को बाईं तरफ लेटायें।
5. चिकित्सकीय परामर्श लें।

पर्यटकों के लिये निर्देश

क्या करें ?

1. जीवाणुओं द्वारा अपघटित न होने वाली समस्त सामग्रियों को साथ ले जायें व किसी भी स्थान को छोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किया गया कागज व गन्दगी जमीन में दबा दी गई है।
2. खुले में शौच करने की बाध्यता होने पर सुनिश्चित करें, कि आप जल श्रोतों से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर है। गन्दगी को जमीन में दबा दें।
3. पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन करें व ऐसा करने में दूसरों की सहायता करें।
4. याद रखें आप अतिथि हैं। सौम्य, मित्रवत व संवेदनशील व्यवहार करें।
5. अपनी सुविधा के लिये किसी अन्य को असुविधा पहुंचाना शिष्टाचार के वियद्ध है। वाहन को इस हेतु निर्दिष्ट स्थान पर ही खड़ा करें।
6. प्रयोग में न होने पर बिजली व पानी बंद रखें।
7. वन्यजीव पार्क में शान्ति बनाये रखें।

क्या न करें

1. पेड़, पौधों को क्षति पहुंचायें।
2. खुले में आग न जलायें और न ही किसी अन्य को ऐसा करने दें।
3. जलती हुई दियासलाई, सिगरेट व बीड़ी न फैंके, इनसे आग लग सकती है।
4. ज्यादातर क्षेत्रों में मछली पकड़ना प्रतिबन्धित है। असुविधा से बचने के लिये मछली पकड़ने से पहले इस सम्बन्ध में व विभाग से जानकारी प्राप्त कर लेना उचित है।
5. क्षेत्र में जैव विविधता का आदर करें व इसे क्षति न पहुंचायें।
6. जंगलों में किसी भी प्रकार का हथियार व जाल प्रतिबन्धित है। असुविधा से बचने के लिये इन्हें लेकर जंगल में प्रवेश न करें।
7. जानवरों को न छेड़ें।
8. वाहन की गति नियंत्रित रखें।
9. वाहन चलाते समय संगीत न सुनें और न ही मोबाइल पर बात करें।
10. रात्रि में वाहन न चलायें। पहाड़ों में इस पर प्रतिबन्ध है।
11. प्रदूषकों का उपयोग न करें।
12. नदी, नालों या झरनों में किसी भी प्रकार के साबुन का प्रयोग न करें।
13. प्रकृति का आनन्द लें, परन्तु पौधों को उखाड़ कर साथ ले जाने का प्रयास न करें।

अध्याय- 8, प्राथमिक चिकित्सा

दुर्घटना में घायल अथवा आकस्मिक रूप से बीमार व्यक्ति को डॉक्टर अथवा एम्बुलेन्स के पहुंचने से पूर्व किया जाना वाला प्रारम्भिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है।

प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य :

किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा निम्न कारणों से दी जाती है –

:: जीवन रक्षा हेतु
:: उसकी दशा और ज्यादा बिगड़ने से बचाने हेतु।
:: शीघ्र उपचार हेतु

प्राथमिक चिकित्सा कौन कर सकता है :

:: जिसे प्राथमिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान हो।
:: जिसमें दूसरों की सहायता करने की भावना हो।
:: जो शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सकता हो।
:: जो तनावयुक्त परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य कर सकता हो।
:: अत्यधिक उत्साह एवं भावनात्मकता, प्राथमिक चिकित्सा में नुकसान पहुंचा सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा देने के पूर्व :

प्राथमिक उपचार करने के पूर्व निम्न जांच कर लें –

खतरे –

:: आपको कोई खतरा तो नहीं है।
:: दूसरे को कोई खतरा तो नहीं है।
:: रोगी को कोई खतरा तो नहीं है।

प्रतिक्रिया –

:: रोगी को होश है।
:: रोगी को होश नहीं है।

शुद्ध वायु –

:: चारों ओर से वायु का प्रवेश हो रहा है या नहीं।
:: वायु शुद्ध है या नहीं।

श्वास –

:: रोगी की छाती में हलचल हो रही है या नहीं।
:: रोगी की धड़कन चल रही है या नहीं।
:: क्या आप रोगी की श्वास को अपने गाल पर महसूस कर पा रहे हैं।

रक्त प्रवाह –

:: रोगी की नाड़ी चल रही है या नहीं।
:: क्या रोगी में जीवन के लक्षण दिख रहे हैं ?

जल जाने या झुलस जाने पर प्राथमिक चिकित्सा :

1. यदि कपड़ों में आग पकड ले तो दौड़ें–भागें नहीं, बल्कि किसी दरी या कम्बल में शरीर को तब तक लपेटें, जब तक आग बुझ न जाए।

2. यदि कपड़ों में आग पकड ले तो जमीन पर लोट लगाए।
3. यदि त्वचा केवल लाल हो गई है तो उस भाग को ठण्डे पानी में 15 मिनट तक रखें या उस भाग पर पानी से अच्छी तरह भीगा कपड़ा 15 मिनट तक रखें।
4. यदि त्वचा ज्यादा जल गई हो और फफोले पड गए हों तो फफोले मत फोड़िये, जल कर चिपके हुए कपड़ों को मत हटाइए और कोई दवा मत लगाइए। जले हिस्से को चिपके हुए कपड़ों सहित दूसरे साफ कपड़े से ढक दें या पट्टी बाध दें।
5. जितना शीघ्र हो सके जले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें।

सांप काटने का प्राथमिक उपचार :

1. सांप काटन पर कोमल रबर या साफ कपड़े से घाव के ऊपर का हिस्सा बाधिए। कटे हुए अंग को लटका कर रखें। बंधे हुए कपड़े को हर 15 मिनट बाद एक मिनट के लिए ढीला करके फिर बांधे।
2. घाव का निरीक्षण करिए, यदि विषदंत के निशान नहीं हैं तो सांप विषैला नहीं है। यदि निशान हैं तो तुरन्त अस्पताल ले जाकर एण्टी–वेनम सिरम इंजेक्शन लगवाएं।
3. यदि व्यक्ति को अस्पताल ले जाना संभव नहीं है तो घाव को एंटीसेप्टिक या पोटेशियम परमैगनेट से धुलिए। चाकू या ब्लेड को गरम करके निर्जमित करें और घाव पर लगभग आधा इंच काटिए। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो घाव से खून को खींचकर निकालिए। खून के साथ विष भी खिंच आएगा। अब घाव पर दवा फाहा रखकर पट्टी बांधिए।

बिच्छू काटने का प्राथमिक उपचार

1 जिस स्थान पर डंक लगा हो और वहां तेज दर्द हो रहा हो तो फफोले पड़ सकते हैं तथा पसीना और कंपकंपी हो सकती है। एंटीहिस्टामाइन मरहम, हल्का अमोनिया या सोडियम बाइकार्बोनेट का गाढ़ा घोल घाव पर लगाया जा सकता है।
2 पीड़ा होने पर डॉक्टर घाव पर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा सकता है।
3 पीड़ित व्यक्ति को दो एस्प्रिन, गरम पेय के साथ दीजिए और उसके शरीर को गरम रखने की कोशिश करिए।

हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचार

1 यदि जरूयत न हो तो टूटे अंगो को हिलाएं नहीं
2 स्प्लिट या खपच्ची का प्रयोग करके टूटे अंग को शरीर से कसकर बांधिए।
3 पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए उचित वाहन तथा मजबूत स्ट्रेचर का प्रयोग करिए।
4 पैर की हड्डी टूटने पर व्यक्ति को कंधे से सहारा देकर उपचार–केन्द्र तक पहुंचाने का प्रयास करें।

आंख में कोई वस्तु गिरने पर प्राथमिक उपचार

1 रोगी को आंख मलने से रोकिए
2 रोगी की आंख पर पानी के छींटे मारिए।

3 यदि कोई वस्तु आंख में पडी दिखाई दे रही हो तो उस साफ रूमाल या गीली रूई के फाहे से निकालने की कोशिश कीजिए।

4 यदि वस्तु बाहर न निकले तो आंखों पर पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाएं।

5 यदि वस्तु पलक के नीचे है तो पलक को बालों से पकड़कर खींचिए व दूसरी पलक तक लाकर छोड़िए। इससे वस्तु अपने आप हट सकती है।

6 आंख को धूल, धुंआ व धक्के से बचाकर रखें।

रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार

1 सर्वप्रथम रक्तस्राव वाले स्थान को किसी वस्तु के सहारे ऊंचा उठाएं।

2 रक्तस्राव रोकने के लिए पट्टी या पतले रबर का प्रयोग करें।

3 रोगी का शरीर गरम रखने का प्रयास करें।

4 रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें।

5 यदि रोगी को रक्तस्राव के कारण बेहोशी आ रही हो तो उसे गरम चाय या दूध आवश्यकतानुसार देना चाहिए।

तेजाब पीने के बाद प्राथमिक उपचार

1 रोगी को उल्टी नहीं कराना चाहिए क्योंकि उल्टी कराने से आमाशय में छेद हो सकता है।

2 रोगी को ढीले वस्त्र पहनाएंगे।

3 रोगी को अधिक मात्रा में दूध, अण्डे की सफेदी, चावल का पानी आदि पीने को दीजिए।

4 रोगी को सूजे गले को गरम सेंक देंगे।

शॉक लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार

किसी व्यक्ति को शॉक लगने के लक्षण निम्न हो सकते हैं।

- बहुत धीमा या बहुत तेज नाड़ी चलना
- ठण्डी, नम या चिपचिपी त्वचा
- उनींदापन या बेहोशी
- चेहरा, होंठ या नाखून पीला पड़ना
- मिचली आना या कब्ज होना

क्या करें –

1 रोगी को गरम सतह पर लिटाएं और आराम करने दें।

2 तत्काल एम्बुलेंस बुलाएं।

3 एम्बुलेंस आने तक खून को बहने से रोकने की कोशिश करें।

4 रोगी के पैर लगभग एक फुट ऊपर उठाकर रखें।

5 रोगी के कपड़े ढीले कर दें।

6 प्यास लगने पर रोगी को पानी न दें, सिर्फ उसके होंठो को तक करें।

7 खुली हवा चारों ओर से आने दें।

8 आवश्यकता पड़ने पर रोगी को कृत्रिम सांस देना चाहिए।

एम्बुलेन्स सेवा के लिए फोन करें 108

अध्याय- 9, जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुख्य कार्य

1. आपदा से पूर्व–

- जिलाधिकारी के निर्देशन मे कार्य करेगा।
- समस्त विभागों, तहसीलों, विकासखंडो से नियमित रूप से धातकता सबंधी रिर्पोट का विश्लेषण।
- समस्त विभागों से पूर्व तैयारी सबंधी रिर्पोट का विश्लेषण कर राज्य कंट्रोल रूम, आयुक्त आपदा प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र व आयुक्त को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व तैयारी का मूल्यांकन व जिला आपदा प्रबंध कार्ययोजना का मूल्यांकन करना।
- आपदा प्रबंध दलों का गठन एवं प्रशिक्षण।

2. आपदा के दौरान एवं पश्चात किसी भी आपातकालीन स्थिति मे–

- नियंत्रण कक्ष में स्थापित डेस्क एवं डेस्क अधिकारी आपदा सबंधी समस्त कार्य सुचारू रूप से निष्पादित करेंगे।
- समस्त सूचना एकत्र व उनका विश्लेषण करना एव
- जिला आपदा प्रबंधक के निर्देशों का अनुपालन कर अग्रिम कार्यवाही रणनीति तय करना।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त में उल्लेख किया जा चुका है, कि जिला अधिकारी के नियंत्रण में जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा, जिसके प्रभारी, प्रभारी अधिकारी (आपदा प्रबन्ध) होंगें। यह नियंत्रण कक्ष निम्न कार्य करेगा –

1– आपदा पर नियंत्रण रखने हेतु कार्य।

2– राहत कार्यों के सम्पादन में विभिन्न टीमों/संस्थाओं/विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य।

3– आपदा प्रबन्धन के समस्त कार्यों का संचालन।

अध्याय- 10, जिला आपातकालीन परिचालक केन्द्र में डेस्कों की व्यवस्था व उनके कार्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 के तहत जिला नियंत्रण केन्द्र (D.C.R.) में विभिन्न कार्यों की देख रेख हेतु विभिन्न स्तरों पर सामंजस्य स्थापित कर "डेस्क" आबंटित किये गये हैं जिनका कार्य निम्नवत होगा

SEVEN DESK SYSTEM/kRESPONSE SYSTEM FOR DISASTER MANAGEMENT

1. परिचालन डेस्क	– Operation Desk
2. सेवा डेस्क	– Service Desk
3. अवस्थापना डेस्क	– Infrastructure Desk
4. स्वास्थ्य डेस्क	– Health Desk
5. लोजिस्टिक्स/कृषि डेस्क	– ogistics/kAgriculture Desk
6. ससाधन डेस्क	– Resource Desk
7. संचार एवं सूचना डेस्क	– Communication & Information Desk

अध्याय- 11, उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) जनपद-उत्तरकाशी

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना सख्या 1507 /XVIII /(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 के द्वारा केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्वत अधिसूचना जारी की गयी है।

क्र. सं.	पदनाम	फोन नं0		
		कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट अधयक्ष	01374–222280	222101	9412077501
2	जिला पंचायत अधयक्ष सह अधयक्ष	01374–222158	222317	9411553910
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सदस्य	01374–222116	222102	9411112733
4	मुख्य विकास अधिकारी सदस्य	01374–222724		9412051190
5	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबधन/अपर जिला मजिस्ट्रेट सदस्य एवं मुख्य अधीशासी अधिकारी	01374–222109	224840	9412076308
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य	01374–222106	224747	9412078733
7	अधीशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग सदस्य	01374–222108	222228	9411596924

जनपद के समस्त विधायकगण प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमत्री होगें और यथा आवश्यकता प्राधिकरण बैठकों में निम्नांकित को भी आमंत्रित किया जा सकेगा–

1. जिला पूर्ति अधिकारी।
2. परिवहन विभाग के जनपद हेतु नियत प्रभारी अधिकारी।
3. अधिशासी अभियंता (सिंचाई विभाग)।
4. अन्य अधिकारी जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अधयक्ष उचित समझें।

जिला आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण के मुख्य कार्य

समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, स्वंयसेंवी संस्थायें जिला अधिकारी के निर्देशन मे कार्य करेंगे।

(क) जिले मे सम्भावित आपदाओं के खतरों का विश्लेषण।
(ख) जिले मे सम्भावित आपदाओ की धातकता का विश्लेषण।
(ग) पूर्व तैयारी का मूल्यांकन।
(घ) जिला आपदा प्रबध कार्ययोजना का मूल्यांकन एवं सुझाव।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डी0डी0एम0ए0पी0) का प्रयोजन–

(क) जिले में सम्बद्ध विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के पास उपलब्ध आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में उनके वर्तमान संसाधनों एवं उनकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

(ख) आपदा बहुल की प्रतिकिया हेतु उनकी उपयुक्तता एव कमजोरियाँ, यदि हों तो उनका मूल्याकंन कर लिया जाय।

(ग) जिला स्तर पर प्रशासकीय प्रतिकिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संस्थाओं के सुदढ़ीकरण का सुझाव देना, प्रौद्योगिकी सहायता लेना, सूचना प्रणाली का उच्चीकरण करना एवं सूचनाओं का सकलन करना और,

(घ) इसे एक प्रशासकीय उपकरण के रूप में विकसित करना। उपरोक्त के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा हर जिले के जिला प्रशासन को आपदा प्रबन्धन की वर्तमान क्षमता के सुदढीकरण के लिए जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डी0डी0एम0ए0पी0) तैयार किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

अध्याय- 12, विभागीय नोडल अधिकारी

प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास के पत्र संख्या 404/XVIII– (2)/10–13 (5)/07 दिनाक 28 मई, 2010 के क्रम में निम्न अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो भविष्य में आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी व विभागीय कार्ययोजना का निर्माण/पुर्ननिर्माण करेगें।

क्र. सं.	विभाग	नामित विभागीय नोडल अधिकारी	दूरभाष नम्बर		
			कार्या0	आवास	मो0
1	पुलिस	पुलिस अधीक्षक	222116	222102	9411112733
2	वन	प्रभागीय वनाधिकारी	222444		9456426684
3	विकास	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	222724	222181	9412051190
4	राजस्व	प्रभारी अधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार	222166	223547	9412076308
5	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्साधिकारी	222106	224747	9412078733
6	शिक्षा	जि0शि0अधि0, उत्तरकाशी।	222122		9411155881
7	परिवहन	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	211174		9458145844
8	पशुपालन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	222320	223195	9412362107
9	पूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी	223839	222485	9410571551
10	विद्युत	अधिशासी अभियंता, पावर कॉरपोरेशन	222178	222172	9412077174
11	लोक निर्माण	अधिशासी अभियता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0	222108	222228	9411596924
12	सिंचाई	अधि0 अभि0, सिंचाई खण्ड	222131	222136	9412911156
13	जल निगम	अधि0 अभि0, जल निगम	222135	222120	9411110044
14	जल सस्थान	अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान	222206	222366	9411103541
15	वैकल्पिक ऊर्जा	परियोजना अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा (उरेडा)	222538		9412864765

16	सीमा सड़क संगठन	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, तेखला	222268	222472	7579058001
17	आई0टी0बी0पी0	कमाडेण्ट, आई0टी0बी0पी0, मातली	235030		9412138681
18	राष्ट्रीय राजमार्ग	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग	224756		9412348188
19	बैंकिंग	लीड बैंक प्रबन्धक	222235	224380	9917480299
20	दूरसंचार	उप खण्ड अधिकारी, दूर संचार	222456	222456	9412077666
21	कृषि	मुख्य कृषि अधिकारी	225168		9412413372
22	सूचना	जिला सूचना अधिकारी	222213		9411140225
23	पंचायत	जिला पंचायतराज अधिकारी	222327		9412435406
24	समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण अधिकारी	223731	222137	9897987409
25	उद्यान	जिला उद्यान अधिकारी	222143		
26	पर्यटन	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	222417		9412320157
27	शहरी विकास	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद	222265		9927413788
28	ग्रामीण अभियंत्रण	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	222326		9412375554
29	युवा कल्याण	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	223468	223602	9412077382
30	होमगार्ड	जिला कमाडेण्ट, होमगार्ड	222318		9411143432
31	अग्निशमन	अग्निशमन अधिकारी, गंगोरी	222201		9456153086

अध्याय- 13, राहत शिविर

राहत प्रदान करने के लिए राहत शिविरों का निर्माण आपदा स्थल के निकटवर्ती किसी सुविधाजनक स्थल पर किया जाना चाहिए। राहत शिविर में भी कार्य विभाजन का स्तर वही होगा जो कि जिला नियंत्रण केन्द्र में होता है। राहत शिविर से भी सूचनायें DDM (District Disaster Manager) या DCR को भेजी जायेगी।

Quick Response Team (QRT) at Head Quarter:

S. N.	Officer	Task
1	DM, Uttarkashi	District Disaster Manager
2	ADM/kOC, Uttarkashi	Operation Desk
3	SDM, Bhatwari, Uttarkashi	Service Desk
4	SE, PWD, Uttarkashi	Infrastructure Desk
5	CMS, Uttarkashi	Health Desk
6	DFO, Soil conrv. Uttarkashi	Logistic/kAgriculture Desk
7	DSTO, Uttarkashi	Resource Desk
8	DIO, Uttarkashi	Communication & Information

Field Offices:

S. N.	Location	Officer
1	Collectorate, Uttarkashi	SDM, Bhatwari
2	Dunda	SDM, Dunda
3	Barkot	SDM, Barkot
4	Purola	SDM, Purola

Quick Response Team (QRT) at Field Level

1- Field Office- Uttarkashi

Team Leader- SDM, Bhatwari	Alternate Team Leader Tehsildar, Bhatwari
Member-1. C.O.City, Uttarkashi	Member-2. B.D.O., Bhatwari
Member-3. C.M.S., District Hospital, Uttarkashi	Member-4. Supply Inspector, Uttarkashi

2- Field Office- Dunda/kChinyalisaur

Team Leader- SDM, Dunda	Alternate Team Leader Tehsildar Dunda/ Chinyalisaur
Member-1. Station Officer, Dharashu	Member-2. BDO, Dunda/ Chinyalisaur
Member-3. Medical Officer, CHC/kPHC, Chinyalisaur/ Dunda	Member-4. Supply Inspector, Dunda/kChinyalisaur

3- Field Office- Badkot

Team Leader- SDM, Badkot	Alternate Team Leadre- Tehsildar, Badkot
Member-1. CO, City Badkot	Member-2. BDO, Naugaon
Member-3. Medical Officer, CHC Naugaon	Member-4. Supply Inspector, Badkot/kNaugaon

4- Field Office- Purola

Team Leader- SDM, Purola	Alternate Team Leader Tehsildar, Purola/kMori
Member-1. BDO, Purola/kMori	Member-2. Medical Officer, CHC/kPHC, Purola/kMori
Member-3. Station Officer, Purola	Member-4. Supply Inspector, Badkot/kNaugaon

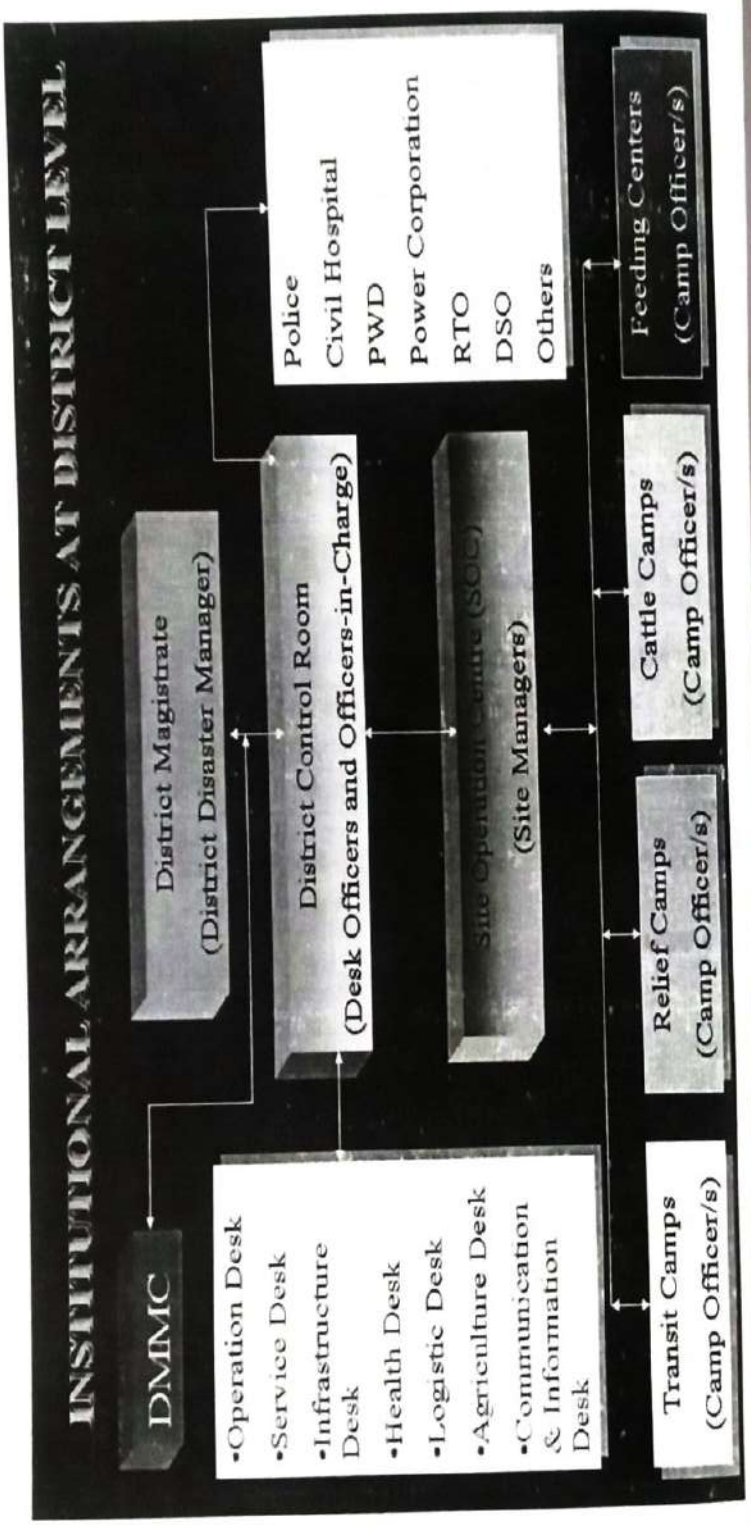

अध्याय- 14, जनपद के प्रमुख अधिकारियों के दूरभाष

क्र. स.	जनपद के प्रमुख अधिकारियों के दूरभाष नम्बर	फोन नं0		
		कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिलाधिकारी	01374-222280	222101	9412077501
2	पुलिस अधीक्षक	01374-222116	222102	9411112733
3	अपर जिलाधिकारी	01374-222109	224840	9412076308
4	अपर पुलिस अधीक्षक	01374-222116	222778	9411112779
5	मुख्य चिकित्साधिकारी	01374-222106	224747	9411332982
6	उपजिलाधिकारी, भटवाडी	01374-222166	222166	9758823158
7	उपजिलाधिकारी, डुण्डा	01371-225405	2254019	9412076313
8	उपजिलाधिकारी, बडकोट	01375-224423	224232	9897401499
9	उपजिलाधिकारी, पुरोला	01373-223321	223331	9412969009
10	आपदा प्रबन्धन अधिकारी	01374-226461	-	9410350338
11	सी0ओ0, उत्तरकाशी	01374-222116	-	9411743835
12	सी0ओ0, बड़कोट	01375-224241	-	9411112766
13	तहसीलदार, भटवाडी	01374-243444	-	7579181112
14	तहसीलदार, डुण्डा	01371-225405	-	9411196547
15	तहसीलदार, चिन्यालीसौड़	01371-237893		9412076319
16	तहसीलदार, बडकोट	01375-224201		9412076323
17	तहसीलदार, पुरोला	01373-223200		9412076315
18	तहसीलदार, मोरी	01373-234323		9456788144
19	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी	01374-243449		9411523301
20	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	01371-225410		941290688
21	खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड	01371-237283		9012959741
22	खण्ड विकास अधिकारी, नौगाव	01375-225228		8755002472
23	खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला	01373-223367		9412984319
24	खण्ड विकास अधिकारी, मोरी	01373-234402		9410569429

जनपद के थाना/प्रभारी के टेलीफोन नम्बर

क्र. स.	नाम थाना	दूरभाष	
		कार्यालय टेलीफोन	मोबाइल
1	थाना कोतवाली, उत्तरकाशी	01374-222219	9411112862
2	थाना मनेरी	01374-236204	9411112863
3	थाना धरासू	01371-237203	9411112864
4	थाना बड़कोट	01375-224241	9411112865
5	थाना पुरोला	01373-223347	9411112866
6	अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी	01374-222201	9456153086
7	अग्निशमन अधिकारी, नौगाव	---	9410707589
8	रेडियो निरीक्षक	01374-222667	9917452268
9	निरीक्षक, एल0आई0यू0, उत्तरकाशी	01374-222224	991112800
10	प्रति निरीक्षक	01374-222140	9412914501

अध्याय- 15, जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ अति. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारियों के दूरभाष

क्र. स.	नाम थाना	दूरभाष	
		कार्यालय टेलीफोन	मोबाइल
1	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भटवाडी	01371–244551	9411553040
2	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डुण्डा	01371–225561	9412363889
3	सामु0 स्वा0 केन्द्र, चिन्यालीसौड	01371–237805	9412312300
4	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बल्डोगी	–	9411522773
5	सामु0 स्वा0 केन्द्र, नौगाव	01375–245252	9411339322
6	सामु0 स्वा0 केन्द्र, पुरोला	01375–223845	9412914902
7	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मोरी	01373–233486	8958536877
8	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मानपुर	–	8126283203
9	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पिपलीराजक	01371– 227387	9410986243
10	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ब्रह्मखाल	01371–256839	9412139142
11	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, धौन्तरी	01371–232314	
12	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बनचौरा	–	9720658894
13	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डामटा	01375–253528	9410930819
14	अति0प्रा0 स्वा0 केन्द्र, आराकोट	–	9412984369
15	रा0एलो0चिकि0, गगोत्री	–	9456747377
16	रा0एलो0चिकि0, गंगनानी	–	9411519960
17	रा0एलो0चिकि0, उत्तरौं	–	9997708833
18	रा0एलो0चिकि0, मनेरी	–	9412919877
19	रा0एलो0चिकि0, हर्षिल	–	9410107133
20	रा0एलो0चिकि0, रैथल	–	9456325973
21	रा0एलो0चिकि0, श्रीकालखाल	–	9411148817
22	रा0एलो0चिकि0, कल्याणी	–	9411519965
23	रा0एलो0चिकि0, दिचली	–	8650578501
24	रा0एलो0चिकि0, खरादी	–	9411733388
25	रा0एलो0चिकि0, कफनौल	–	8979002434
26	रा0एलो0चिकि0, राजगढी	–	8979002434
27	रा0एलो0चिकि0, बडकोट	01375–224667	9411142459
28	रा0एलो0चिकि0, कुमोला	–	8755074770
29	रा0एलो0चिकि0, गुन्दियाटगांव	–	8755075928
30	रा0एलो0चिकि0, गगाड	–	9410153514
31	रा0एलो0चिकि0, टिकोची	–	8273541947

अध्याय- 16, इमरजेन्सी सेवा 108 का विवरण

क्र.सं.	स्थान	एरिया
1	उत्तरकाशी (कलक्ट्रेट)	1. गगोत्री रोड 2. चौरगीखाल 3. डुण्डा, देवीधार, धनारी 4. साल्ड, हाली 5. संगमचट्टी रोड़ 6. महीडाण्डा रोड़ 7. नाल्ड
2	भटवाड़ी (ब्लॉक)	रैथल एवं भटवाडी क्षेत्रान्तर्गत
3	धरासू (थाना धरासू)	1. जोगत रोड 2. बनचौरा रोड 3. सिलक्यारा बैंड 4. जुणगा, कुमारकोट 5. पटारा, मालना 6. कान्सी रोड़ 7. देवीधार रोड, धनारी 8. खालसी रोड
4	धौन्तरी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धौन्तरी)	1. लम्बगांव रोड़ 2. उत्तरकाशी रोड़ 3. सेम मुखेम रोड़ 4. कमद रोड़ 5. सिरी 6. फोल्ड धनारी
5	बडकोट (थाना बड़कोट)	1. हनुमानचट्टी रोड 2. राजगढी रोड 3. धारी कलोगी रोड 4. बर्नीगाड़ 5. लाखामण्डल रोड
6	पुरोला (मेन मार्केट)	1. नौगाव रोड 2. गुन्दीयाटगांव रोड़ 3. जरमोला धार 4. सुनार छानी 5. करडा 6. कुमोला
7	मोरी (ब्लॉक)	1. जखोल रोड 2. पुरोला रोड 3. त्यूनी रोड़ 4. नैटवाड रोड़

अध्याय– 17, जनपद स्तर पर उपलब्ध उपकरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	पुलिस स्टेशन						तहसील					योग
		थाना मनेरी	थाना धरासू	थाना बड़कोट	थाना पुरोला	पुलिस लाईन	फायर सर्विस	भटवाड़ी	डुण्डा	चिन्यालीसौड	बड़कोट	मोरी	
1	सर्च लाईट	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	6
2	इनफ्लेवल टावर लाईट	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	सर्कुलर सॉ कटर	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	रोप (नाइलोन 11मि.मी.) 100 मी0	-	3	-	4	2	3	-	1	3	1	4	21
5	रोप (नाइलोन 11मि.मी.) 200 मी0	2	1	1	4	2	-	-	1	-	-	-	11
6	माउनट्रेनीयरिंग रोप	2+2	-	4	-	2	-	1	-	-	-	4	11
7	टेप सिलिंग	12	12	16	12	4	-	-	5	5	-	-	66
8	रोप लैडर 30 फीट (एल्युमिनियम)	2	2	-	2	1	-	-	1	-	-	2	10
9	मनीला रोप (50मी. लम्बा एवं 0.75 मि.मी. परिधि)	2	1	3	2+2	1	-	-	1	-	-	2	10
10	कैराबिनर	4	3	3	3	9	4	2	1	2	4	4	39
11	हैमर पिटन	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	15
12	सीट हार्नेस	6	4	4	6	3	4	3	2	2	4	6	44
13	जुमार	8	8	7	4	8+2	4	3	4	2	4	8	52
14	डिसेन्डर	8	8	6	8	2	4	3	3	3	4	5	54
15	लाईफ जैकेट	12	8	12	12	12	-	-	4	4	-	12	76
16	रॉक पिटन	6	8	27	-	10	4	-	3	-	-	-	58
17	रॉक पिटन हैमर	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7

क्र. स.	उपकरण का नाम	पुलिस स्टेशन						तहसील					योग
		थाना मनेरी	थाना धरासू	थाना बड़कोट	थाना पुरोला	पुलिस लाईन	फायर सर्विस	भटवाड़ी	डुण्डा	चिन्यालीसौड	बड़कोट	मोरी	
18	पुली	1	2	5	-	2+2	1	-	1	-	-	-	10
19	कैराबिनर प्लेन	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
20	क्लाइमिंग रो 10मि.मी. (40मी0)	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
21	रोप रैपलिंग (80मी0)	1	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	10
22	सिलिंग	6	-	4	-	10	6	-	-	-	-	-	26
23	चेस्ट हार्नेस	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9
24	रोप लैडर 40 फीट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	मिटन कैनवास (जोड़े)	15	13	1	11	16	5	-	6	6	-	-	73
26	टैन्ट	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
27	रुकसैक	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9
28	विन्ड प्रुफ जैकेट	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
29	विन्ड प्रुफ ट्राउजर	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
30	रॉक क्लाइमिंग बूट	6	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	14
31	चोकनेट	3	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	51
32	डागरी	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	12
33	फ्रेन्ड्स (4 प्रति सेट)	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
34	ट्रेकिंग शूज	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	11
35	स्ट्रेचर फोल्डिंग मय बैग	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
36	एकसेसन्न बोल्ट	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
37	शार्ट सिलिंग	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
38	वायर कटर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

क्र. सं.	उपकरण का नाम	पुलिस स्टेशन						तहसील					योग
		थाना मनेरी	थाना धरासू	थाना बड़कोट	थाना पुरोला	पुलिस लाईन	फायर सर्विस	भटवाड़ी	डुण्डा	चिन्यालीसौड़	बड़कोट	मोरी	
39	मल्टी परपज नाइफ	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8
40	ऑक्सीजन सिलेन्डर	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
41	वाइना कूलर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	गैस जनरेटर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
43	स्लीपिंग बैग	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
44	डीजिटल कैमरा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	हेलमेट	12	6	6	12	5	3	3	6	6	4	12	75
46	हेलमेट टार्च	12	12	6	11	10	3	3	6	6	4	12	85
47	स्ट्रेचर कैनवास	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	9
48	स्ट्रेचर हार्ड बेस	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
49	ड्रेगन लाईट	1	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	9
50	रैक सीट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	वैक्यूम स्ट्रेचर	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
52	गिरिगिरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
53	आईसोक्स	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6
54	सावल (स्नो)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
55	एवलान्च रॉड	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
56	डेडवॉय	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	जनरेटर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58	रॉक हार्नेस	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
59	स्नो ऐंकर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60	बैग	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5

अध्याय- 18, राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बन्ध में सूचना

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग :-

गंगोत्री राष्ट्रीय राज मार्ग विशेषकर धरासू बैण्ड से नालूपानी-देवीधार व भटवाड़ी गगनानी-सोनगाड़ के मुख्य मार्ग की स्थिति मानसून काल मे भूस्खलन होने के कारण खराब रहती है।

गत यात्रावधि में वर्षाकाल में मार्ग जब-जब बन्द रहा व जिन स्थानों पर बन्द रहा का विवरण :- *दिनांक 09-08-2011 से 26-08-2011 तक मार्ग पूर्ण रूप से अवरूद्ध रहा।*

मार्ग जिन-जिन स्थानों पर भूस्खलन से बन्द रहा उसका विवरण :-

क्र. सं.	स्थान का नाम		
		4	हेलगू गाड के पास
1	धरासू बैण्ड नालूपानी स्थान पर	5	गगनानी, सुनगर, सुक्की बैण्ड
2	बड़ेथी चुंगी	6	डबरानी
3	थिरांग के पास	7	सैंज, भट्टीखाल, भाटुकीसौड़

मार्ग के अति संवेदनशील जौन निम्नानुसार चिन्हित किये गये हैं :-

क्र. सं.	स्थान का नाम	विवरण
1	डबरानी, सुक्की बैण्ड	तीव्र मोड़
2	डीम स्लाईड डबरानी	संकरी रोड/तीव्र मोड़
3	गगनानी नाग मंदिर व हेलगू गाड के पास	तीव्र मोड़
4	बड़ेथी चुंगी क्षेत्री	तीव्र मोड़
5	स्तूड़ी सेरा, नालू पानी एवं धरासू बैण्ड	तीव्र मोड़, गहरी खाई एवं लैण्ड स्लाईड जौन

यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग :-

गत यात्रावधि में वर्षाकाल में मार्ग जब-जब बन्द रहा व जिन स्थानों पर बन्द रहा का विवरण :- *दिनांक 08, 09 एवं 10 अगस्त व दिनांक 16, 17, 18 एवं 20 अगस्त को मार्ग भारी वर्षा से जगह-जगह पूर्ण रूप से अवरूद्ध रहा।*

मार्ग जिन-जिन स्थानों पर भूस्खलन से बन्द रहा उसका विवरण :-

क्र. सं.	स्थान का नाम	2	बड़कोट ग्राम छटांगा में
1	धरासू बैण्ड से फैडी गांव तक	3	खरादी, चामी, सारी गाड

मार्ग के अति संवेदनशील जौन निम्नानुसार चिन्हित किये गये हैं :-

क्र. सं.	स्थान का नाम	विवरण
1	धरासू बैण्ड से फैडी गांव तक	मार्ग उबड़-खाबड़, संकरा, तीव्र मोड़ व गहरी खाई
2	थनेरा कुथनौर	संकरा, तीव्र मोड़ व गहरी खाई
3	राड़ी क्षेत्र	तीव्र मोड़, संकरा
4	जरड़ा खड्ड	संकरा, तीव्र मोड़ व गहरी खाई

उत्तराखण्ड राज्य की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत राज्य गठन के पश्चात् पृथक आपदा प्रबन्धन विभाग का गठन किया और विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना की गयी। आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 के तहत जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन व जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन 24 × 7 की तर्ज पर किया जा रहा है, जिससें जनपद में बिभिन्न प्रकार की आपदा सम्बन्धित सूचनाओं का त्वरित रूप से आदान–प्रदान कर अध्यक्ष, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेशानुसार सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

जनपदान्तर्गत आपदा सम्बन्धित जानकारियों व सूचनाओं के लिए सम्पर्क करें–

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र,
जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
01374 – 226461 (फैक्स)
01374 – 226126, 1077 (टोल फ्री)
ई–मेल – ddmauttarkashi@gmail.com

उत्तरकाशी नगर का दृश्य

राज्य स्तरीय नोडल ऐजेन्सी :

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून

दूरभाष नं0 0135– 2710232, 2710233, फैक्स 0135–2710199,

वेब साईट–www.ua.nic.in/dmmc

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून

दूरभाष नं0 0135– 2710334, 3243018, फैक्स 0135–2710335,

सेवा कर मुक्त (toll free) दूरभाष– 0135–1070

मुद्रक : कोठियाल ऑफसेट, उत्तरकाशी, फोन- 01374-223132, 9634418764